

स्कूल में बंदूक लेकर पहुंचे ‘दबंग’ मास्टर जी लगाने लगे निशाना तो सहमे छात्र, प्रभारी प्रचार्य ने कराई एफआईआर

गुना (नप्र)। जिले के धरनावदा स्थित शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल में शिक्षक के हाथों में बंदूक देखकर लोग भयभीत थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद गुना पुलिस ने शिक्षक पर शिकंजा कसा है। प्रभारी प्रचार्य की शिकायत पर धरनावदा पुलिस ने शिक्षक पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी शिक्षक मूल रूप से राजस्थान के कवाई (सालपुरा) का निवासी है।

ढाई महीने पुराना है वीडियो- पूरा मामला करीब ढाई महीने पुराना है, लेकिन वीडियो अब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शिक्षक विनोद साहू बिना किसी खोफ के स्कूल परिसर में सरेआम बंदूक से निशाना साधते हुए दिखाई दे रहा है। इसी दौरान वहां से स्कूल की प्रिंसिपल और कुछ अन्य लोग भी गुजरते हैं, लेकिन वह बेखोफ होकर हथियार लहराता रहता है। सहकर्मियों और स्थानीय नागरिकों की मानें तो आरोपी अक्सर दफ्तर और छात्रों पर धौंस जमाने और अपना रसूल दिखाने के लिए बंदूक लेकर स्कूल आता था।

7 अप्रैल की दोपहर मचाया था हड़कंप- थाने में



दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, यह खोफनाक वाक्या 7 अप्रैल की दोपहर करीब 1 बजे का है। आरोपी विनोद साहू हाथ में बंदूक लेकर अचानक स्कूल प्रांगण में दाखिल हो गया। परिसर में खुलेआम हथियार देखकर वहां मौजूद छात्र-छात्राएं और स्टाफ दहशत में आ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब मौके पर मौजूद प्रभारी प्राचार्य ममता सोनी, माध्यमिक शिक्षक चंद्रमोहन कुशवाह और उच्च माध्यमिक शिक्षक अंजू गुप्ता ने उसे रोकने का प्रयास किया और समझाइश दी।

होर्मुज में 4 महीने से फंसे थे एलपीजी से लदे 2 टैंकर

● रास्ता खुला, मौका मिलते ही भारत की ओर हुए रवाना

नई दिल्ली (एजेंसी)। होर्मुज में तनाव कम होने से भारत को राहत की सांस मिलने लगी है। खाड़ी देशों से कच्चे तेल और एलपीजी के टैंकरों ने अब न केवल भारत बल्कि दूसरे देशों के लिए भी राह पकड़ ली है। ऐसे ही दो जहाज भारत के लिए रवाना हो गए हैं। ईरान संकट के कारण ये दोनों जहाज चार महीने से होर्मुज में फंसे हुए थे। नागपुर की प्रमुख निजी कंपनी कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम की ओर से चार्टर किए गए इन जहाजों में 22,000 मीट्रिक टन रसोई गैस लोड है। ये दोनों जहाज रविवार सुबह होर्मुज के दोबारा बंद होने से ठीक पहले वहां से बाहर निकलने में



कामयाब रहे। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम के सूत्रों के अनुसार, ये दोनों जहाज एक सप्ताह के भीतर भारत के बंदरगाह पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा, एक और बड़ी राहत यह है

कि अल्जीरिया से 22,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आ रहा एक अन्य जहाज भी भारतीय समुद्री सीमा में प्रवेश कर चुका है और जल्द ही बंदरगाह पर लंगर डालेगा।

● कप्तानों ने उठाया मौके का फायदा- कंपनी के चेयरमैन नितिन खारा ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए एक समझौता ज्ञापन के बाद इस समुद्री रास्ते को कुछ समय के लिए खोला गया था। हमारे कप्तानों ने बेहद बहादुरी भरा कदम उठाया और इस छोटे से मौके का फायदा उठाकर जहाजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे हमने राहत की सांस ली है। भारत के सबसे बड़े निजी एलपीजी बॉटलर्स में से एक, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम को इस महीने करीब 50,000 टन एलपीजी की जरूरत थी। युद्ध की शुरुआत में सप्लाई चेन टूटने के कारण कंपनी को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जिससे निपटने के लिए उन्होंने ये कदम उठाए- चीन जा रहे दो जहाजों को अतिरिक्त रकम चुकाकर भारत की तरफ मोड़ा गया, जिनमें 50,000 मीट्रिक टन एलपीजी थी। कंपनी ने आपूर्ति बनाए रखने के लिए अमेरिका से भी एलपीजी की स्पॉट खरीदारी की। घरेलू गैस के नए शिपमेंट्स के भारत पहुंचने से घरेलू बाजार पर बेहद सकारात्मक असर देखने को मिलेगा।

संक्षिप्त सनाचार

केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा

● 21 जून को राज्यसभा कार्यकाल खत्म हुआ था

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार को कुरियन के इस्तीफे की जानकारी दी। प्रेस रिलीज में बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम नरेंद्र मोदी की सलाह



पर उनका इस्तीफा स्वीकार किया है। हालांकि, इस्तीफे की वजह नहीं बताई गई है। 65 साल के कुरियन मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अल्पसंख्यक कार्य

मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद पर थे। वे अगस्त 2024 से मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे। बतौर राज्यसभा सांसद 21 जून को ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ था। भाजपा ने उन्हें फिर से उम्मीदवार नहीं बनाया था। कुरियन केरल में भाजपा के सीनियर नेताओं में एक हैं।

भवानीपुर सीट में सुरक्षित रखे जाएं चुनावी रिकार्ड

● कोलकाता हाईकोर्ट का बंगाल सरकार को सख्त आदेश

कोलकाता (एजेंसी)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट की मतगणना से जुड़े सभी अहम सबूत सुरक्षित रखने का आदेश दिया। अदालत ने रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर सुनवाई करते हुए



कहा कि ईवीएम, वीवीपेट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य संबंधित रिकॉर्ड संरक्षित रखे जाएं। जस्टिस गौरांग कांत ने मतगणना केंद्र बने शेखावाटी मेमोरियल स्कूल के अंदर और बाहर

लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, जल्दतर पड़ने पर इन सभी साक्ष्यों की जांच होगी। अदालत की अनुमति के बिना इन्हें न तो मिटाया जाएगा, न बदला जाएगा, न नष्ट किया जाएगा और न ही इनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की जाएगी। अदालत ने मामले में सभी संबंधित पक्षों को शामिल करने के आदेश दिए हैं।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर कांग्रेस का हमला

● जयराम रमेश बोले-ट्रंप को खुश करना बंद करें प्रधानमंत्री

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के भारत दौरे का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की नीति बंद करनी चाहिए और वाशिंगटन के साथ उस व्यापार समझौते पर दबाव में

आकर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए जिसका वर्तमान स्वरूप भारतीय हितों के प्रतिकूल दिखाई देता है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि अमेरिका के साथ जिस स्वरूप में व्यापार समझौते पर सहमति बनी है उसका जन्म-कर्मर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

पॉलिटेक्निक, आकाशवाणी और किलोल पार्क चौराहा ‘प्रतिबंधात्मक क्षेत्र’ घोषित

धरना-प्रदर्शनों पर लगी रोक

भोपाल (नप्र)। भोपाल शहर के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण मार्गों में से एक पॉलिटेक्निक चौराहा और उसके आस-पास के क्षेत्रों में अब किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, हड़ताल या पुतला दहन कार्यक्रमों के आयोजन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। नगरीय पुलिस भोपाल के पुलिस आयुक्त संजय कुमार (भा.पु.से.) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 22 जून 2026 से आगामी 02 माह तक प्रभावी रहेगा।

इन प्रमुख क्षेत्रों में लागू रहेगा प्रतिबंध
पुलिस आयुक्त के आदेश के अनुसार इन क्षेत्रों और उनके बीच के स्थानों को प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया है-

पॉलिटेक्निक चौराहा
आकाशवाणी चौराहा
किलोल पार्क चौराहा
इन चौराहों के मध्य स्थित सभी स्थान
क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?
प्रशासन द्वारा इस कड़े कदम को उठाने के पीछे मुख्य रूप से आम जनता की सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को सुचारू रूप से चलाना है। आदेश में स्पष्ट किया गया है।

एकमात्र सुविधाजनक मार्ग
पॉलिटेक्निक चौराहा शहर के मुख्य मार्ग पर स्थित है, जो एयरपोर्ट, हमीदिया अस्पताल और गांधी मेडिकल कॉलेज जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण स्थलों पर आने-जाने का



एकमात्र सुगम माध्यम है। शहर में इसका कोई अन्य सुविधाजनक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।

आपातकालीन सेवाओं में बाधा: इस मार्ग से एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी सेवाएं और विशिष्ट/अतिविशिष्ट व्यक्तियों का आवागमन होता है। यहाँ अक्सर होने वाले प्रदर्शनों के कारण यातायात बाधित होता था, जिससे मरीजों के जीवन पर संकट आने की संभावना बनी रहती थी।

आम जनता को परेशानी- आएं दिन विभिन्न समुदायों, संगठनों, राजनीतिक दलों और समितियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर किए जाने वाले आंदोलनों से आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

एकपक्षीय आदेश जारी, उल्लंघन पर

धार, बड़वानी, खरगोन, नर्मदापुरम में तेज बारिश

26 जिलों में भी अलर्ट; प्रदेश में सामान्य से 52 प्रतिशत कम पानी गिरा, 48 जिले पिछड़े

भोपाल (नप्र)। मानसून की रफ्तार धीमी होने से मध्य प्रदेश में जून का महीना अब तक सूखा बीता है। प्रदेश में सामान्य से 52 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई, जिससे खरीफ फसलों की बोवनी प्रभावित हो रही है। हालांकि, मंगलवार को बड़वानी, खरगोन, नर्मदापुरम और धार जिले में तेज बारिश हुई। इससे मौसम सुहाना हो गया, लेकिन किसानों का कहना है कि बोवनी के लिए अभी और पानी की जरूरत है।

प्रदेश में मानसून के एंटर होने की सामान्य तारीख 15 जून है, जिसे 8 दिन ज्यादा बीत चुके हैं। फिलहाल, अगले 2 से 3 दिन में मानसून आने का अनुमान जताया जा रहा है।

हालांकि, जून के पूरे महीने प्री-मानसून का दौर चल रहा। इसके बावजूद पूर्वी हिस्से,

यानी जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग में औसत से 71 प्रतिशत कम बारिश हुई है। वहीं पश्चिमी हिस्सा यानी, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर-चंबल में औसत से 33 प्रतिशत कम पानी गिरा है।

जबलपुर समेत 4 जिलों में लू का अलर्ट, 26 जिलों में बारिश- मौसम विभाग ने जबलपुर, मंडला, दमोह और उमरिया में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, पांडुरंगा, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, विदिशा, रायसेन, बैतूल, भोपाल, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, इंदौर, आलीराजपुर और झाबुआ में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है।

दूसरी ओर नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, अगर-मालवा, राजगढ़, गुना, अशोक नगर, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, कटनी, सतना, मेहर, रीवा, मऊजंज, सीधी और सिंगरौली में गर्मी का असर रहने की संभावना है।

होगी कार्रवाई- समय के अभाव और स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत एकपक्षीय पारित किया गया है।

इस आदेश से व्यक्ति कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत पुलिस आयुक्त के समक्ष आवेदन कर सकता है। उनकी संतुष्टि होने पर ही किन्हीं विशेष शर्तों के साथ इस प्रतिबंध से छूट दी जा सकेगी।

इस आदेश की प्रतिलिपियाँ भोपाल संभाग के आयुक्त, जिला कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और सभी थाना प्रभारियों सहित संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई और निगरानी के लिए भेज दी गई हैं।

11 साल की मासूम से रेप, फिर हत्या

● फुटपाथ से सोते वक़्त उठा ले गया था टैक्सी ड्राइवर, गुब्बारे बेचती थी बच्ची

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में गुब्बारे बेचने वाली 11 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। सोमवार को सुबह फुटपाथ पर सो रही बच्ची का टैक्सी ड्राइवर ने किडनैप किया था। इसके बाद उसने उसका रेप किया और हत्या कर लाश महारौली के जंगलों में फेंक दी थी। सोमवार को सुबह करीब 6 बजे परिवार ने वीडियो कॉल के जरिए महारौली थाने में बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से चार घंटे में ही बबलू नाम के टैक्सी ड्राइवर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने



आरोपी की निशानदेही पर बच्ची का शव बरामद कर लिया है। शव पोस्टमॉर्टम के लिए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी ने अपना ज़ुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि सड़क से गुजरते समय

उसने सीडीआर चौक के पास फुटपाथ पर बच्ची को सोते हुए देखा था। उसने नींद में ही बच्ची को उठाया और कार की पिछली सीट पर लिटाकर महारौली के जंगलों में ले गया था, जहां उसने वारदात को अंजाम दिया।

पीड़ित परिवार और आरोपी बिहार के रहने वाले

महारौली पुलिस थाने से मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़ित परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। परिवार पहले किराए पर रहता था। गरीबी के चलते किराया नहीं दे पाए तो घर खाली करना पड़ा। इसलिए बाद परिवार फुटपाथ पर ही रहने लगा था। वहीं, एप बेस्ड कैब चलाने वाला आरोपी ड्राइवर भी बिहार का ही रहने वाला है। उसके ऊपर पहले से भी मारपीट और नशे में टैक्सी चलाने के कुछ मुकदमे दर्ज हैं।

योगी सरकार तक पहुंची राममंदिर चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट

● एसआईटी ने 20 पेज की रिपोर्ट में एफआईआर और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश की

अयोध्या (एजेंसी)। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने मंगलवार को अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी। सूत्रों के मुताबिक, इसमें एफआईआर दर्ज करने और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश की गई है। किसी सीनियर अफसर को मंदिर का सीईओ नियुक्त करने का भी सुझाव है। डिटेल् जांच के लिए एसआईटी ने और समय मांगा है। रिपोर्ट गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को रिपोर्ट सौंपी गई है। टीम ने बताया कि 20 पन्नों की यह शुरुआती रिपोर्ट है। इसमें 150 लोगों से पूछताछ की डिटेल् है। सूत्रों के मुताबिक, एसआईटी ने पिछले 5 साल के चढ़ावे का ऑडिट कराने की भी सिफारिश

की है। चढ़ावे में अनियमितता रोकने के लिए सुझाव दिए हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजेगी। इसके बाद गृह मंत्रालय तय करेगा कि ट्रस्ट के किन सदस्यों को रखा जाए या हटाया जाए।

5 आरोपियों से 2 करोड़ रुपए की रिकवरी - राम मंदिर चोरी मामले में 5 आरोपियों लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुण और रामशंकर उर्फ टिटू की निशानदेही पर 2 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। इसके अलावा, चंपत राय के करीबी टिटू के घर से सोना मिला था। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, चोरी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा



की हो सकती है। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले में श्रीराम सेना ने राम जन्मभूमि थाना पहुंचकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश सिंह ने प्रभारी निरीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए सेवादार अनिल मिश्रा समेत

अन्य सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और नारको टेस्ट कराए जाने की मांग की। दिनेश सिंह ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई से ही करोड़ों राम भक्तों की आस्था मंदिर के प्रति बनी रह सकेगी।

केजरीवाल बोले-

● अब तक चंपत राय को हटाय़ा क्यों नहीं गया- दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा- राम मंदिर से करोड़ों का चंदा चोरी हो गया। राम भक्तों में बहुत गुराह है और मन में कई सवाल हैं। आज मैं सरकार से पहला सवाल पूछ रहा हूं। पूरे राम मंदिर का कंट्रोल चंपत राय के हाथ में है। सबसे ज्यादा आरोप चंपत राय पर ही लग रहे हैं। उसे अब तक हटाय़ा क्यों नहीं गया? क्या इस बात का डर है कि अगर चंपत राह ने मुंह खोला, तो कई बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे।

नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट बनी, चौकसे सिर्फ अध्यक्ष

‘एक व्यक्ति-एक पद’ फार्मूले पर कांग्रेस ने यह फैसला किया

इंदौर। कांग्रेस संगठन में लंबे समय से चल रही चर्चाओं के बीच नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के पद पर बड़ा बदलाव किया गया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे को नेता प्रतिपक्ष के दायित्व से



मुक्त कर दिया गया है। उनकी जगह पार्षद सोनिला मिमरोट भाटिया को नया नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह निर्णय कांग्रेस के ‘एक व्यक्ति-एक पद’ सिद्धांत के तहत लिया गया है। लंबे समय से संगठन के भीतर यह मांग उठ रही थी

कि चिंटू चौकसे शहर कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां एक साथ संभाल रहे हैं, ऐसे में उन्हें किसी एक पद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रदेश नेतृत्व ने मामले पर विचार करने के बाद चौकसे को शहर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य जारी रखने का निर्णय लिया है। माना जा रहा है कि आगामी नगर निगम चुनावों को देखते हुए उन्हें संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सोनिला मिमरोट भाटिया को उनकी सक्रियता और मुखर कार्यशैली का लाभ मिला है। नगर निगम परिषद में वे लगातार जनहित के मुद्दे उठाती रही हैं और सत्ता पक्ष को तथ्यों के आधार पर घेरने के लिए जानी जाती हैं। उनके नेता प्रतिपक्ष बनने से कांग्रेस को परिषद में एक नई और आक्रामक आवाज मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

चुराई बाइक का शातिर चोर धराया

इंदौर। पुलिस ने ऐसे चोर को पकड़ा है, जो खुद ही वाहन चुराकर अपने गैरज में उसे काटकर पार्ट्स बेच देता था।। बदमाश से दो बाइक और कटे हुए तीन चेचिस बरामद हुए हैं। आरोपी ने छह दिन पहले भी बाइक चुराई थी। परदेशीपुरा पुलिस को फरियादी नरेंद्र पिता नंदकिशोर लकवाल निवासी कुलकर्णी का भन्ना ने बताया कि वह किसी काम से 16 जून को वाहन शॉप के पास तुलसी कॉम्प्लेक्स स्थित दुकान में खरीदी करने गया था। सामान खरीदी के बाद जब वह लौटा तो उसकी बाइक (एमपी-09-बीडी-0441) दिखाई नहीं दी। आसपास भी उसने बाइक ढूँढी। काफी देर तक जब बाइक का पता नहीं चल सका तो पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए घटना स्थल का निरीक्षण कर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले। फुटेज में आए हुलिए के आधार पर आरोपी की पहचान आरोपी मुकेश कुल्हार निवासी गणेश नगर, परदेशीपुरा के रूप में हुई। आरोपी को पकड़ा तो उसने बाइक चुराना कबूला। यह भी बताया कि उसका बागंगागं थाना क्षेत्र के भानुगढ़ में आटो गैरज है। वह बाइक चुराने के बाद उसके पार्ट्स काटकर बेच देता है। वाहनों की नंबर प्लेट भी बदल देता था, ताकि वाहनों की पहचान न हो सके। पुलिस आरोपी से अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ कर रही है।

लोन दिलाने का झांसा, महिला से ठगी

इंदौर। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में महिला से लोन दिलाने का झांसा देकर 1 लाख 43 हजार रुपए ठग लिए। आरोपी ने महिला से प्रोसेसिंग फीस और फाइल चार्ज के नाम पर पैसे लिए थे। शिवधाम कॉलोनी निवासी मीना राठौर ने बताया कि उनके पति गणेश लॉज और होटल व्यवसायी हैं। डेढ़ वर्ष पहले संतोष वर्मा नामक युवक उनके होटल पर खाना खाने आता था। कई बार लॉज में भी ठहरा था। इसी दौरान उसकी परिवार से पहचान हो गई। बातचीत के दौरान संतोष ने दावा किया कि वह कई लोगों को लोन दिला चुका है। उसने नामी रिसॉर्ट के शेफ का लोन मंजूर कराने का उदाहरण देकर पीड़ितका का विश्वास जीत लिया। इसके बाद उसने भरोसा दिलाया कि वह उनको भी लोन दिला सकता है। आरोपी ने लोन प्रक्रिया आगे बढ़ाने, दस्तावेजों की फाइल तैयार करने और विभिन्न शुल्कों का हवाला देते हुए कई बार भुगतान करवाया। काफी समय बीतने के बाद न तो लोन मिला और न ही जमा की गई राशि। जब महिला ने आरोपी से अपने पैसे लौटाने की मांग की तो वह बहाने बनाता रहा। इसके बाद पीड़िता को अपने साथ धोखाधड़ी होने का एहसास हुआ और उन्होंने पुलिस की शरण ली।

बाइक पर बीयर पीने वाले गिरफ्तार

इंदौर। सोशल मीडिया पर स्टंट करना युवकों के लिए शगल बन चुका है। ऐसे युवकों के वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर कड़ा सबक भी सिखाती है। इसके बावजूद युवक-युवती मानने को तैयार नहीं है। शनिवार को विजयनगर थाना क्षेत्र में दो बाइक पर दो युवक-युवती थे। युवतियां चलती बाइक पर बीयर पीती और सिगरेट के कश लगा रही थीं। युवतियों की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस सक्रिय हुई और कैमरे में कैद बाइक के नंबर के आधार पर युवक-युवती की पहचान की। चारों युवक-युवतियों पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन और लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने चारों को सबक सिखाया तो वे अपनी गलती मानते हुए माफी मांगते नजर आए। पुलिस ने दोनों बाइक जब्त कर ली हैं। साथ ही युवक-युवती को चेतावनी दी कि आगे से इस तरह की हरकत की तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बीट प्रभारियों को अपराध नियंत्रण पर जोर

इंदौर। बीट स्तर की पुलिसिंग को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर ने जोन-2 के लसुंडिया थाना के बीट प्रभारियों की समीक्षा बैठक ली। इसमें अपराध नियंत्रण, जनसंतुष्टि, सामुदायिक पुलिसिंग और साइबर अपराधों की रोकथाम जैसे विषयों पर चर्चा की गई। पुलिस कमिश्नर ने 1 जनवरी से 15 जून तक पिछले तीन वर्षों के अपराध आंकड़ों की तुलनात्मक समीक्षा की। क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिए बीट प्रभारियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। बीट प्रभारी पुलिस और जनता के बीच मजबूत कड़ी है, जिनकी सक्रियता से न केवल अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है बल्कि आमजन में सुरक्षा की भावना बढ़ाई जा सकती है। पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिए कि प्रत्येक बीट में नियमित भ्रमण किया जाए। माइक्रो बीट पुलिसिंग को सशक्त बनाया जाए। हर गतिविधि पर निगरानी रखते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई की जाए। थाना स्तर पर उपलब्ध संसाधनों की नियमित समीक्षा कर उनकी कार्यशीलता बनाए रखें।। हर फरियादी की शिकायत को गंभीरता से सुना जाए।

गांधीनगर में डीजे संचालकों की बैठक

इंदौर। आगामी त्योहारों के महेंजरन गांधीनगर क्षेत्र में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से एसीपी निधि स्वसेना के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के डीजे संचालकों की बैठक ली गई। इसमें में शासन एवं प्रशासन द्वारा जारी आदेशों और दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई। एसीपी ने डीजे संचालकों को स्पष्ट रूय से निर्देशित किया कि त्योहारों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निषिद्ध नियमों के अनुरूप ही किया जाए। निर्धारित समय सीमा, ध्वनि स्तर तथा प्रशासनिक अनुमति संबंधी सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन पर संबंधित संचालकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उपस्थित संचालकों से त्योहारों के दौरान प्रशासन का सहयोग करने, सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील भी की गई। सभी संचालकों ने निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया।

जीआई टैग से ‘इंदौरी मालवी आलू’ को मिली पहचान, निर्यात के नए रास्ते खुले

बेहतर प्रसंस्करण क्षमता के कारण मांग बढ़ी, किसानों को लाभ



कई बड़ी कंपनियां खरीदार

अपने विशिष्ट स्वाद और गुणवत्ता के कारण इंदौरी मालवी आलू की मांग देशभर में बनी हुई है। कई बड़ी कंपनियां जैसे आईटीसी, महिंद्रा, पोस्को, इस्कॉन बालाजी, मकेंन्स और हायफन सीडस सीधे किसानों से जुड़कर प्रसंस्करण योग्य आलू का उत्पादन कराते हैं तथा उचित मूल्य पर फसल खरीदते हैं। इंदौर जिले के मालवी आलू की गुणवत्ता को देखते हुए अनेक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां इससे चिप्स, वेफर्स, फ्रेंच फ्राइज और अन्य उत्पाद तैयार कर रही हैं। बालाजी, यलो डायमंड, पारले, हल्दीराम और लेस जैसी कंपनियां भी आलू आधारित उत्पादों के निर्माण में इसका उपयोग करती हैं। स्थानीय स्तर पर महु विकासखंड के ग्राम कांदरिया और आसपास के क्षेत्रों में आलू आधारित लगभग 250 से 300 मौसमी प्रसंस्करण इकाइयां संचालित होती हैं। इन इकाइयों में आलू चिप्स, वेफर्स, स्टार्च, पाउडर और फ्रेंच फ्राइज जैसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं।

विशिष्ट पहचान के कारण मांग

उप संचालक उद्यान त्रिलोकचंद वास्करले के अनुसार इंदौर जिले की विशिष्ट जलवायु, उपजाऊ मिट्टी और किसानों द्वारा अपनाई जा रही उन्नत कृषि तकनीकों

शिशुकुंज स्कूल का किचन सील किया जांच में एक्सपायर खाद्य सामग्री मिली

बच्चों की तबीयत बिगड़ने की शिकायत, 23 खाद्य नमूने लैब भेजे गए



इंदौर। पूर्वी बायपास के नजदीक शिशुकुंज स्कूल के भोजन से बच्चों की तबीयत खराब होने की शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल के किचन को आगामी आदेश तक सील कर दिया है। जांच के दौरान एक्सपायरी डेट पार कर चुके मसाले और अन्य खाद्य सामग्री मिलने के बाद यह कदम उठाया गया। जानकारी के अनुसार, अभिभावकों द्वारा कलेक्टर शिवम वर्मा को स्कूल में परसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की थी। शिकायत प्राप्त होते ही कलेक्टर के निर्देश पर एक संयुक्त जांच दल गठित किया गया, जिसने स्कूल परिसर में गृहकर किचन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जांच दल ने भोजन तैयार करने और संग्रहित करने में उयोग की जा रही विभिन्न खाद्य सामग्रियों के नमूने लिए। इनमें पनीर, आइसक्रीम, 6 प्रकार के मसाले, शरबत, राजमा, तेल, नमकीन, 4 प्रकार की दालें, दूध, तैयार दाल, तैयार कोफ्ते, कोफ्ते की सब्जी, पके हुए चावल, रोटी तथा पीने के पानी सहित कुल 23 खाद्य सामग्री के नमूने शामिल हैं। सभी नमूनों को गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है।

एक्सपायर्ड मसाले मिले

जांच के दौरान किचन में कई अनियमितताएं भी सामने आईं। अधिकारियों को एक्सपायरी डेट निकल चुके मसालों के 10 पैकेट और नमकीन के 2 पैकेट मिले। खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए संबंधित प्रकरण तैयार किया गया और किचन को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान एसडीएम कनाड़िया दीपक चौहान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी माधव प्रसाद हासानी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन के खाद्य सुरक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग तथा पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।

शिकायत के लिए नंबर जारी

कलेक्टर ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी स्कूल, हॉस्टल, मेस, कैटिन या अन्य खाद्य प्रतिष्ठान में गंदगी, मिलावट, अस्वच्छ व्यवस्थाएं, बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार या खाद्य सुरक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की अनियमितता दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल कलेक्टर के हेलपलाइन 0731-181 पर दें।

परिवार गोद भराई में गया, पीछे से चोरों ने धावा बोलकर माल उड़ाया

एक दिन में तीन स्थानों पर वारदात, रात्रि गश्त की पोल खुली

की पेटी का ताला टूटा हुआ था और घर का सामान बिखरा पड़ा था। चोर उनके घर से सोने का हार, झुमके, मंगलसूत्र, चार जोड़ी पायजेब सहित अन्य जेवर शामिल हैं। दूसरा मामला भंवरकुआं थाना क्षेत्र के शांति फार्म हाउस इलाके का है। यहां रहने वाले राजकुमार वर्मा ने बताया कि वह निजी कंपनी में कार्यरत हैं। कुछ दिन के लिए अपने ससुराल गए थे। रविवार को घर लौटने पर देखा कि मकान का सामान अस्-

व्यस्त पड़ा है। बदमाश सोने का हार, टॉप्स, चार सोने की अंगूठियां, पाटली, मंगलसूत्र, नथ, चांदी के जेवर और नकदी ले गए। तीसरी घटना सरफाा थाना क्षेत्र की है। यहां रहने वाले वित्त सलाहकार आशीष जैन ने बताया कि रविवार सुबह वह नलिया बाखल क्षेत्र में सब्जी खरीदने गए थे। इसी दौरान किसी अज्ञात युवक ने उनकी पेंट की जेब से मोबाइल चुरा लिया। तीनों मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

मौसम बिगड़ने पर विद्युत आपूर्ति बिगड़े तो तेजी से सुधार के निर्देश

प्रबंध निदेशक ने कहा, अभियान गंभीरता, तत्परता से चलाएं

इंदौर। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने कहा कि मालवा निमाड में भी मानसून की सक्रियता की स्थिति बनने लगी है, अलग अलग जिलों में अलग समय में तेज हवा, आंधी, वर्षा हो रही है। यदि मौसम बिगड़ने से यदि विद्युत आपूर्ति व्यवधान की स्थिति निर्मित होती है तो बिजली कंपनी जोन, वितरण केंद्र प्रभारी तुरंत संचाल लेकर कम समय में आपूर्ति सामान्य करने की कोशिश करें। अतिरिक्त टीमें लगाकर सुधार कार्य कम समय में कराया जाए, आपूर्ति सामान्य करने का अभियान पूरी तमयता, गंभीरता, तत्परता के साथ चलाया जाए। उच्च दाब संकाय के कार्मिकों की भी मदद ली जाए, कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री प्रभावित क्षेत्रों का सतत पर्यवेक्षण करें एवं अतिरिक्त साधन, कार्मिक मुहैया कराने में मदद करें। सिंह ने कहा कि मौसमी कारण, पेड़ गिरने से व्यवधान संभव हैं, लेकिन हमारी सफलता तभी है जब बड़े व्यवधान को छोटी सी अवधि में सामान्य करने की सफलतम कोशिश कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जाए। सिंह ने कहा कि जिस जिले, वितरण केंद्र की बिजली आपूर्ति पेड़ गिरने, आंधी तूफान से प्रभावित होती है, वहां के जोन प्रभारी, सीसीआर, लाइनमैन इत्यादि कार्मिक जोन के म्रुपों में वाटसएप संदेश जरूर साझा करें कि किस कारण से बिजली बंद है एवं कितने आंशकित समय में बिजली आने की संभावना है।

स्कूटी को लगाई आग, आरोपी गिरफ्तार

इंदौर। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में रंजिश के चलते महिला की घर के बाहर खड़ी स्कूटी को पेट्रोल डालकर बदमाश ने आग लगी दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मात्र 24 घंटे में आग लगाने वाले बदमाश को दबोच लिया। फरियादी नीमा डांडिया ने बताया कि 18 जून की रात वे अपने परिवार के साथ सो रही थीं। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके घर के बाहर खड़ी एक्टिवा स्कूटी (एमपी-09-डीबी-0576) पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग इतनी भीषण थी कि स्कूटी पूरी तरह जल गई। घटना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध की पहचान की। मामले में पुलिस ने चंदन नगर क्षेत्र से आरोपी आदित्य पिता संतोष कोसे निवासी रामा कॉलोनी सिरपुर को पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि फरियादी के परिवार से उसकी रंजिश थी। बदला लेने के उद्देश्य से उसने स्कूटी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी।

निगम आयुक्त ने जल की स्वच्छता व्यवस्था को भी परखा



बाद उन्होंने जोन क्रमांक-10 के वार्ड 39 स्थित खुदा बख्श कॉलोनी और हबीब कॉलोनी में जलप्रदाय, ड्रेनेज तथा स्वच्छता व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। आयुक्त ने अधिकारियों को सात निगरानी रखने और नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरवासियों को स्वच्छ पेयजल और बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

संपादकीय

फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार !

फुटपाथ पर पैदल चलना एक सामान्य सी बात लग सकती है, लेकिन आज भारत में ज्यादातर शहरों में पैदल राहगीरों के लिए बने फुटपाथ भी अतिक्रमण का शिकार हो रहे हैं। इन पर धड़ल्ले से गुमटियां तन रही हैं, ठेले लग रहे हैं तो कहीं झुगियां भी बन गई हैं। सरकारें फुटपाथों पर हो रहे इन अतिईक्रमणों का अनदेखा कर रही हैं। परिणामस्वरूप आज कई शहरों में फुटपाथ पर चलने की जगह राहगीरों को मुख्य सड़क पर चलना पड़़ा रहा है और कई बार वो हदसे का शिकार हो रहे हैं। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में साफ कहा हैकि फुटपाथ पर चलना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। और सड़कों पर गाड़ियों से पहले आपका हक है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस बात को माना है कि फुटपाथों पर अतिक्रमण केवल यातायात की समस्या नहीं, बल्कि संविधान, गरिमा और जीवन के अधिकार से जुड़ा प्रश्न है। कोर्ट ने बल्कि कि हर सड़क के किनारे सुरक्षित फुटपाथ उपलब्ध करने, उनका रखरखाव करने और अतिक्रमण से मुक्त रखने की संवैधानिक जिम्मेदारी सरकार की है। यदि इस अधिकार का उल्लंघन होता है तो नागरिक अदालत से मुआवजा और अन्य कानूनी राहत भी मांग सकते हैं। यह फैसला केवल सड़कों के डिजाइन को नहीं, बल्कि शासन की प्राथमिकताओं को बदलने वाला भी है। यह उन करोड़ों भारतीयों के सम्मान, सुख़ा और बराबरी के अधिकार की संवैधानिक घोषणा है, जिनकी आवाज अब तक ट्रैफिक के शोर में दब जाती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बरसों को इस लाचारी को केवल यातायात की समस्या नहीं, बल्कि सोधे इंसान के आत्मसम्मान और संविधान से जुड़ा यह एक ऐसा फैसला है जो भारतीय सड़कों की पूरी परिभाषा को हमेशा के लिए बदल देगा। न्यायमूर्ति पामिदियंटम नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल शरच्चंद्र चाँवरकर की पीठ ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पैदल चलने का अधिकार संविधान के भाग-3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डी) (आवागमन की स्वतंत्रता), अनुच्छेद 19(1)(ए), 19(1)(बी), 19(1)(सी) तथा अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि सड़क है तो उसके साथ सुरक्षित फुटपाथ होना भी अनिवार्य है। यह जिम्मेदारी शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों, नगरपालिकाओं और पंचायतों की है। इन संस्थाओं को फुटपाथों का निर्माण, रखरखाव और अतिक्रमण से सुख़ा सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि पैदल चलना समानजनक और सुरक्षित जीवन का अभिन्न हिस्सा है। नागरिकों को सुरक्षित फुटपाथ उपलब्ध नहीं कराया जाता या उसके इस अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वह संविधान और अन्य कानूनों के तहत अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। वह मुआवजा और अन्य कानूनी राहत पाने का भी हक़दार होगा। यह अधिकार मोटर वाहन अभिनियम, 1988 के तहत मिलने वाली उपायों से अलग और स्वतंत्र होगा। कोर्ट ने अपना काम कर दिया और पूरी दमदारी से किया। लेकिन असली सवाल यह है कि सरकारें और स्थानीय संस्थाएं इस पर कितनी गंभीरता से अमल करेंगी। दुर्भाग्य से फुटपाथों पर अतिक्रमण करवाने और गुमटी, ठेले आदि लगवाने में सत्ता पक्ष और बाहुलियों का ही हाथ होता है। ये लोग पैसा लेकर लोगों से यह सब करवाते हैं। इस कमीशन से ख़ासी मोटी कमाई होती है। यहां तक पधियन अथवा गरीबीय निकायों द्वारा कार्रवाई किए जाने पर यही लोग फुटपाथ पर अवैध गुमटी अथवा ठेले लगाने वालों को बचाने की गारंटी भी लेते हैं। हालांकि इस तरह फुटपाथ पर दुकानें लगाएँ का एक मानवीय पक्ष भी है। क्योंकि यह सोच तौर पर लोगों के रोजगार से भी जुड़ा है। लेकिन इसकी जगह राहगीरों से फुटपाथ छीन लिए जाएं और उन्हें जान जोखिम में डाल कर सड़कों पर चलना पड़ा, इसे तो सही नहीं ठहराया जा सकता।

नजरिया

नृपेन्द्र अभिषेक ‘नृप’

लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।



साल 2025 में एशिया के अनेक देशों ने भीषण गर्मी की ऐसी मार झेली, जिसने जलवायु परिवर्तन के खतरे को एक बार फिर दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया। भारत, चीन, थाईलैंड और दक्षिण-पूर्व एशिया के कई हिस्सों में तापमान ने नए रिकॉर्ड बनाए। भारत के कई शहरों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। खेतों में फसलें झुलसने लगीं, बिजली की मांग अचानक बढ़ गई और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। इसी दौरान विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की रिपोर्ट ने चेतावनी दी कि एशिया दुनिया के उन क्षेत्रों में शामिल है, जहां तापमान सबसे तेज गति से बढ़ रहा है। यह केवल एक मौसम संबंधी घटना नहीं, बल्कि आने वाले समय की गंभीर तस्वीर है। यह संकेत है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो जलवायु संकट मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है।

जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान का संबंध आज किसी से छिपा नहीं है। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मानवीय गतिविधियां हैं। औद्योगिकीकरण, जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग, जंगलों की कटाई और अनियंत्रित शहरीकरण ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन तथा अन्य ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ा दी है। ये गैसों सूर्य से आने वाली ऊष्मा को पृथ्वी के वातावरण में रोककर रखती हैं, जिसके कारण धरती धीरे-धीरे गर्म होती जा रही है। वैज्ञानिक वर्षों से बीमार लोग इसके प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। विश्व स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तापमान में वृद्धि के गंभीर परिणाम सामने आएंगे। दुर्भाग्य से दुनिया ने इन चेतावनियों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया, जितनी आवश्यकता थी।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1991 से 2025 के बीच एशिया में तापमान वृद्धि की दर 1961 से 1990 की तुलना में लगभग दोगुनी रही है। यह तथ्य बताता है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य का खतरा नहीं, बल्कि वर्तमान की वास्तविकता बन चुका है। वर्ष 2025 को अब तक के सबसे गर्म वर्षों में गिना जा रहा है। बढ़ते तापमान का असर केवल मौसम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, कृषि, जल

केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है तापमान का संकट

संसाधनों और सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है।

सबसे पहले यदि कृषि क्षेत्र की बात करें, तो तापमान वृद्धि का सीधा प्रभाव खाद्य सुरक्षा पर पड़ रहा है। अत्यधिक गर्मी और अनियमित वर्षा के कारण फसलों की उत्पादकता घट रही है। गेहूं, धान और मक्का जैसी प्रमुख फसलें तापमान में छोटे बदलावों के प्रति भी संवेदनशील होती हैं। जब गर्मी सामान्य सीमा से अधिक बढ़ जाती है, तो फसल की वृद्धि प्रभावित होती है और उत्पादन कम हो जाता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। यदि खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित होता है, तो इसका असर केवल किसानों पर नहीं, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ती हैं और गरीब वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होता है।

जल संकट भी तापमान वृद्धि का एक बड़ा परिणाम है। बढ़ती गर्मी के कारण नदियों, झीलों और जलाशयों का जलस्तर तेजी से घटता है। हिमालय के ग्लेशियर, जिन्हें एशिया का जल भंडार कहा जाता है, तेजी से पिघल रहे हैं। प्रारंभिक वर्षों में इससे बाढ़ का खतरा बढ़ता है, लेकिन लंबे समय में जल उपलब्धता कम हो जाती है। करोड़ों लोगों की पेयजल और सिंचाई की जरूरतें इन हिमनदों पर निर्भर हैं। यदि इनका क्षरण इसी गति से जारी रहा, तो भविष्य में जल संकट और भी गंभीर रूप ले सकता है।

बढ़ते तापमान का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर दिखाई देता है। हीट वेव यानी लू की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अत्यधिक गर्मी से हीट स्ट्रोक, निजलीकरण, हृदय रोग और श्वसन संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। बुजुर्ग, बच्चे और पहले से बीमार लोग इसके प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। विश्व स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तापमान वृद्धि की वर्तमान गति जारी रही, तो गर्मी से होने वाली मौतों की संख्या आने वाले दशकों में कई गुना बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त गर्म जलवायु

मलेरिया, डेंगु और अन्य संक्रामक रोगों के प्रसार को भी बढ़ावा देती है।

प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति भी तापमान संकट का एक महत्वपूर्ण पहलू है। समुद्र का तापमान बढ़ने से चक्रवात अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। कहीं अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आ रही है, तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ रहा है। एशिया के कई देशों में हाल के वर्षों में आई बाढ़ और चक्रवातों ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। इन आपदाओं से केवल आर्थिक नुकसान नहीं होता, बल्कि लोगों का जीवन, आजीविका और सामाजिक स्थिरता भी प्रभावित होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली ये आपदाएं विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से बड़ी चुनौती हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन सीमित होते हैं। बढ़ते तापमान का आर्थिक प्रभाव भी अत्यंत व्यापक है। जब प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती हैं, तो सरकारों को राहत और पुनर्वास पर भारी खर्च करना पड़ता है। कृषि

उत्पादन में कमी, उद्योगों पर प्रभाव और श्रमिकों की उत्पादकता में गिरावट आर्थिक विकास को धीमा कर देती है। अत्यधिक गर्मी में निर्माण, परिवहन और अन्य बाहरी कार्यों में लगे श्रमिकों की कार्यक्षमता घट जाती है। इससे उत्पादन लागत बढ़ती है और अधिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाला आर्थिक नुकसान अब अरबों डॉलर में आंका जाने लगा है।

जैव विविधता पर भी तापमान वृद्धि का गंभीर असर पड़ रहा है। अनेक पशु-पक्षी और वनस्पतियां अपने प्राकृतिक आवास खो रहे हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र विशेष रूप से प्रभावित हो रहा है। समुद्र के गर्म होने से प्रवाल भित्तियां नष्ट हो रही हैं, जिन्हें समुद्र के वर्षावन कहा जाता है। जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे वन्यजीवों का अस्तित्व संकट में पड़ रहा है। यदि जैव विविधता का यह नुकसान जारी रहा, तो पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ सकता है और मानव जीवन भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा। अब सवाल है कि जब खतरे इतने स्पष्ट हैं, तब भी प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे

क्या नजीर की माँब लिचिंग बन पाएगी नजीर

सामयिक

डॉ.संजीव कुमार

लेखक सामाजिक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं।

14 जून को माँब लिचिंग के इतिहास में पहली मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा के जिला न्यायालय द्वारा एक साथ 14 दणियों को उम केद की सजा सुनाई गई है। मुकदमे का निर्णय न्यायाधीश तबस्सुम खान के द्वारा सुनाया गया है। चूँकि मामला हिंदू मुस्लिम पक्ष से जुड़ा है और निर्णय एक मुस्लिम महिला द्वारा सुनाया गया है जिसका तथाकथित गौरवक्षक समाज सोशल मीडिया तथा अन्य तरीकों से विरोध कर रहा है वहीं संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया है।

बात 3 अगस्त 2022 की है। नजीर अहमद अपने दो साथियों के साथ महाराष्ट्र से अपने ट्रक में 25 से 30 गाय और बकड़े लेकर उन्हें बाजार में बेचने (व्यवसायिक) के लिए निकले थे। मध्य प्रदेश के नर्मदा पुरम में रात्रि लगभग दो से तीन बजे तथाकथित गौरवक्षक उनके ट्रक को घेर कर रोक लेते हैं और सदेह की बुनियाद पर तीनों को पीटने लगते हैं तथा उन्हें जोर-जोर से धार्मिक नारे लगाने के लिए कहते हैं और खुद ही इसका वीडियो भी बनाते हैं और समाज में इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। दर्जनों लोगों द्वारा हिंसक मारपीट की वजह से अंततः 55 वर्षीय नजीर की कुछ दिनों बाद अस्पताल में मृत्यु हो जाती है। अब लगभग चार वर्ष पश्चात् इसका निर्णय आता है जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है।

सभी 14 अपराधी बहुत ही सामान्य परिवार से है। यह सभी हिंदू राष्ट्र और गौ रक्षा के नाम पर अंततः अपना जीवन तो बर्बाद कर ही चुके हैं उसके साथ-साथ अपने परिवार का भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। यह समाज के ऐसे नवयुवकों में से हैं जो तर्क का विवेक खो चुके हैं। इनके पास स ही कोई अच्छी शिक्षा है और ना ही इतनी संपति जिसके दम पर यह अच्छ जीवन जी सके। कमोबेश हिंदू राष्ट्र और गौ रक्षा के नाम पर जितने भी नवयुवक इस तरह का अपराध कर चुके हैं या कर रहे हैं यह सभी साधारण परिवार से और तथाकथित उच्च

जातियों द्वारा ही बरगलाए गए हैं। पिछले एक दशक से माँब लिचिंग के मामले न देश और दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इसके पहले ऐसे शब्दों का पहले कभी प्रयोग नहीं था। ऐसा नहीं था कि इससे पहले भारत में कोई अपराध नहीं होते थे या फिर इस तरह की हत्याएं नहीं होती थी। देश में इन घटनाओं से पहले भी बड़े-बड़े अपराध और सामूहिक हत्याएं हुईं है। बेलेछी कांड, हासिमपुर हत्याकांड, लखमनपुर कांड, वल्लभकांड, खेरलाजी हत्याकांड जैसे बड़े-बड़े सामूहिक नरसंहार हुए हैं पर लिचिंग का मामला इनसे अलग है। क्योंकि पूर्व में हुए सब अपराध जाति और मजहब की दुर्भावना से होते थे पर अब ‘गाय रक्षा’ के नाम पर होने वाले इस जातीय तथा धार्मिक विद्वेष से किए गए इस अपराध ने समाज में एक नई भाषा को जन्म दिया है जिसे आज हम माँब लिचिंग कहते हैं। यानी अंधी भीड़ द्वारा बेवजह किसी की निर्मम हत्या।

पिछले एक दशक में गौ रक्षा के नाम पर इतने जघन्य अपराध हुए हैं जिनके वीडियो और फोटो देखकर हमारे कलेजे दहल जाते हैं। मन में यही सवाल होता है कि आखिर यह लोग कौन हैं, क्या उनके परिवार और समाज ने इन्हें खुला ङ्ठ दे रखा है ऐसा अपराध करने के लिए? और अपराध भी ऐसा कि खुद अपराधी मजे से हिंसा करते हैं और उसका वीडियो भी वायरल करते हैं। इन लोगों के जानाचू न जैसे मजाक बन चुका है। ऐसा इसलिए है कि इन अपराधों के बाद यह लोग कुछ ही महीनो में बरी हो जाते हैं और तथाकथित इनके गौरवक्षक समाज द्वारा इनका फूल माला से स्वागत किया जाता है । दरअसल गौ रक्षा अथवा गौ सेवा जैसा इनका कोई कृत्य नहीं होता। इनके आकाओं को मुसलमानों और दलितों के नाम पर भड़काने तथा लड़ाने के लिए एक हथियार चाहिए। जिसके लिए यह कभी गाय तो कभी गंगा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर गाय की यह सचमुच सेवा चाहते हैं या उसकी रक्षा करने का इन्होंने बिड़ा उठाया है तो पिछले 10 सालों का आंकड़ा उठा कर देख ले जितनी दुर्दशा पिछले 10 सालों में गायों की हुई है उतना भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था।

अभी ताजा मामला जैसलमेर के राजस्थान का है जहां हजारों गायों के भूख और बीमारी से मरने की खबर ने पूरे देश को हिला दिया था। जनवरी में चंडीगढ़ में 100 गायों की मौत हुई, छत्तरपुर में 50 गाय मरी, भीमपुर राजस्थान में सैकड़ों से ज्यादा गायें मरी, 2024 -25 में श्रावस्ती और ललितपुर में

सैकड़ो गायों के मरने से उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया था। यह सब मौते प्रशासनिक देखरेख और गौशालाओं में हुई है जहां के लिए सरकार विधिवत बजट पास कर रही है।इसके अतिरिक्त सड़कों,गलियों में जो लाशें गायें भूख, बीमारी,से दर दूधर भटक रही है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। अगर गौ रक्षो तथा इसके नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को जरा भी इनकी चिंता है तो सचमुच उनके लिए उचित प्रबंध करें। और इसके लिए किसी दिखावे तथा होामे की भी जरूरत नहीं है। बस जो लोग भी अपने आप को हिंदू मानते हैं, इन गायों को दया के नाम पर दो रोटी देते हैं वे सभी इन्हें अपने घर में पाले इनकी सेवा करें। शनिवार और सोमवार को दो गुड़ और दो रोटी से इनका पेट नहीं भरने वाला।

अब लौटते हैं माँब लिचिंग के मामले पर। 2015 में मोहम्मद अखलाख का मामला आर शायद भूल गए हो उनके परिवार पर गौ मांस खाने का झूठा आरोप लगा करके ग्रामीणों ने उन्हें पीट-पीट कर मार डाला। 2017 में राजस्थान के अलवार में पहलू खान को गौ तस्करी के नाम पर भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। 2017 में हरियाणा की एक लोकल ट्रेन में 16 वर्षी जुनेद खान को भी इसी तरह की अफवाह की वजह से मार दिया गया था। झारखंड में भी बच्चा चोरी के नाम पर इसी प्रकार मुसलमान की लिचिंग की गई थी। 2002 में हरियाणा की भी पांच दलितों की गौ रक्षकों ने कुछ इसी प्रकार के मामले में हत्या की थी। उनका कांड भी इसी प्रकार का मामला है। इन सभी मामलों में हजारों से ज्यादा लोग दोषी और अपराधी हैं, इनमें से ज्यादातर लोग आज अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं।

पर नजीर के इस मुकदमे ने माँब लिचिंग केस को एक नया मोड़ दे दिया है। देश में एक आशा का सुजन होते दिखावे दे रहा है।क्योंकि भीड़ द्वारा बढ़ते हुए ऐसे अपराध को रोकने के लिए भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता में माँब लिचिंग को पहली बार अलग अपराध के रूप में मान्यता दी गई है। धारा 103(2) ब्रह्म के अनुसार जब 5 या अधिक व्यक्तिओं का समूह मिलकर नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर हत्या करता है, तो इसे माँब लिचिंग माना जाता है। जज तबस्सुम खान ने इसी कानून के हवाले से नजीर के दोषियों को अकेद की सजा सुने है। अब देखना ये है कि क्या नजीर का यह मामला एनी माँब लिचिंग के लिए भी एक ‘नजीर’ बन सकता है।

विरासत

आशीष प्रताप मावई

लेखक माखनदास वसुदेवी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संवार विशिष्टतावर के पत्रकारिता विभाग के विचार्यों हैं।

यह उन 206 मंदिरों की कहानी है, जो मुरैना जिले के हेडकार्टर से 25 किलोमीटर दूर चंचल की झाड़ियों में बसे पहावली गाँव में स्थित हैं। एएसआई द्वारा इन 206 मंदिरों में से लगभग 100 मंदिरों को पुनर्जीवित कर दिया गया है। छठी से नौवीं शताब्दी के बीच गुर्जर-प्रतिहार राजाओं द्वारा निर्मित ये बटेक्षर मंदिर, खजुराहो के मंदिर समूह से भी लगभग 200 वर्ष पुराने हैं।

इन मंदिरों के नष्ट होने की दस्तावेज़ी बड़ी अजीब है। कुछ पुरातत्वविदों का यह विचार है कि 13 वीं शताब्दी में आए किसी भयानक तूफ़ान या भूकंप के कारण ये मंदिर मिट्टी में मिल गए थे। वहीं, कई इतिहासकार इसके उलट मानते हैं कि इस्तुतिमिश्र जब अपनी सेना लेकर दिल्ली से खालियर की ओर जा रहा था, तो रास्ते में उसने इन मंदिरों को तहस-नहस कर दिया था। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तर्क यह है-अगर इस इलाके में कोई भीषण तूफ़ान या भूकंप आया होता, तो 10वीं शताब्दी में बनाई गई गाँव में स्थित ‘गढ़ी पढ़ावली’ भी नष्ट हो जाती; जबकि गढ़ी का बाहरी ढांचा आज भी एक स का तस खड़ा है। हाँ, यह जरूर है कि उसके अंदर के मंदिर और मूर्तियाँ पूरी तरह खंडित हैं।

इसके प्रमाण बगल के ऐतिहासिक गाँव कुंतलपुर जो अब कुतवार है में भी मिलते हैं। यह माता कुंती का मायका है, जहाँ उन्हें सूर्य-पुत्र कर्ण की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने कर्ण को यहीं बहने वाली आसन नदी में बहाया था। इस गाँव में भी प्राचीन ऐतिहासिक ढांचे आज तक सुरक्षित खड़े हैं। इन बिखरे हुए मंदिरों के एक-एक ईंट-पत्थर को जोड़कर इन्हें पुनर्जीवित करने का श्रेय एएसआई के के.के. मोहम्मद को जाता है।

मंदिर इतनी बड़ी संख्या में हैं कि देखने से लगता है मानो यह ‘मंदिरों का कुंभ’ हो। इतनी बड़ी संख्या को देखकर यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि यह स्थान कोई महान तीर्थ रहा होगा।

मंदिर परिसर में दो पानी से लबालब भरें कुंड भी हैं जिन्हें एएसआई ने खोजा है; तीर्थयात्री संभवतः इन कुंडों में स्नान कर मंदिर में पूजा-अर्चना करते होंगे। सुबह और शाम आपको प्रांगण में मोर पंख पसारकर नाचते हुए दिख जायेंगे। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे इन मंदिरों को निहारकर कह रहे हों- ‘चिता मत करो, तुम्हारा निकट भविष्य तुम्हारे

अतीत जैसा ही वैभवशाली होगा।’

हमारा समाज अपनी सभ्यता को भुलाकर आज किस मुबने पर खड़ा है? बटेक्षर का सिर और आधा थड़ अभी भी ज़मीन पर खिल-बताशों की तरह मूर्तियों के रूप में बिखरा है।

हमारे ही अपने पुरखे जो अपनी स्मृतियों को जीवित रखने के लिए यह धरोहर हमारे नाम छोड़ गए, लेकिन क्या हमारी इतनी भी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने देवताओं के स्थानों को वह मान-सम्मान सूत-समेत वापस लौटाएं, जिसके ये हक़दार थे?

सोचो, अगर कोई 5 फुट 6 इंच का, उत्तर भारत के लोगों के रंग से अधिक साँवले रंग का, धर्म का मुस्लिम के.के. मोहम्मद केरल से नहीं आया होता, तो आज बटेक्षर में खंडित पड़े इस मलबे को कौन पोषित करता? जब मैंने पहली बार उस प्रांगण में प्रवेश किया, तो मेरी रूढ़ में रेंगता खून मानो रुक सा गया हो। मैं एक मंदिर से दूसरे मंदिर विस्मय भरे



भाव से घूमता रहा। मैं सोच रहा था कि वह कौन दुष्ट होगा जो इन मंदिरों को उजाड़ गया। जैसे जेट आते-आते खेत उजड़ जाते हैं, रातों-रात आगजनी से अमेज़न के जंगल उजड़ जाते हैं, तेज़ धूप से कई पोखर उजड़ जाते हैं, और युवावस्था में पति की मृत्यु से एक सुहागन महिला की ज़िंदगी उजड़ जाती है। वैसे ही बटेक्षर की ये खंडित, टूटी-फूटी मूर्तियाँ विधवा हो गईं, जो कभी पार्वती के रूप में शिव की आर्धांगिनी थीं। मैं अपने मुँह में आए कड़वे घूँट को बार-बार पिए जा रहा था, जैसे बटेक्षर के वे मंदिर मुझसे कुछ हिसाब माँग रहे हों।

मेरे लिए ये मंदिर, पवित्र तीर्थ हैं... पवित्र तीर्थ!

जो कुछ 100 मंदिर पुनर्जीवित हो चुके हैं, उन्हें भी आज के ‘इस्तुतिमिश्र, महमूद गज़नवी, औरंगज़ेब और अलाउद्दीन खिलजी’ नष्ट करने पर तुले हैं। पूरा इलाका खनन मॉर्फिया की चपेट में है। मॉर्फिया पहाड़ों में चढ़ानों को तोड़ने के लिए भारी-भरकम ब्लास्ट करते हैं, जिससे पैदा होने वाला कानून इन प्राचीन मंदिरों में दरारें पैदा कर रहा है।

से उनका भरोसा उठने लगता है। हालांकि जल्दी ही उन्हेड्डु समझ आ जाता है कि अगला है ही रोतले मिजाज वाला प्राणी, इसकी ज्ञानवाणी को गंभीरता से लेने का नहीं।

और अंत में प्रणम्य हैं वे तमाम प्रतिभाशाली कला साधक भी जिनके जिक्र के बगैर यह अफसाना अधूरा रहेगा,ये बंदे बेहद मनोयोग से नित नए नशतर की मानिंद नुकीले,जहर बुझे,बजबजाते,नकारात्मक संदेश खोजते हैं, तकनीक की मदद से इनका रंग रोगन,चित्रांकन करते हैं। कुछ हेलनहार बंदे अपने ही हुनर से नित नए मौलिक जले करते हैं, धारदार संदेशों की नियमित आपूर्ति करते हैं। ये तमाम संदेश सोशल मीडिया के बाजार में हाथों हाथ लिए जाते हैं और दमनदाकर अंग्रेषित किए जाते हैं,पतक झपकते ही ये संदेश तमाम स्क्रीनों पर चस्पा होने लगते हैं। सुधीजनों द्वारा इन्हें अपने फोन की गैलरी में आड़े वक्त के लिए काकायदा सहेजकर रखा जाता है,और यथा अवसर इनका उपयोग किया जाता है। इन साधकों के सौजन्य से हो रही असीमित आपूर्ति की बदौलत वाट्सएप के ये अखाड़े गुलजार हैं और निरंतर फल फूल रहे हैं।

मुद्दा

डॉ. भूपेन्द्र कुमार सुल्लेरे

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।



एक देश, एक संविधान और एक समान न्याय व्यवस्था ही लोकतंत्र की वास्तविक आत्मा है। जब नागरिकों के अधिकार धर्म, पंथ और संप्रदाय के आधार पर नहीं, बल्कि समान नागरिकता के आधार पर निर्धारित होते हैं, तभी राष्ट्र सशक्त और समरस बनता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ विविध धर्म, भाषाएं, संस्कृतियाँ, परंपराएं और जीवन पद्धतियाँ सहस्राब्दियों से साथ-साथ विकसित हुई हैं। यही विविधता भारत की शक्ति भी है और उसकी विशिष्ट पहचान भी। किंतु इस विविधता के बीच संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की थी, जहाँ प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, समान अवसर और समान न्याय प्राप्त हो। इसी उद्देश्य से भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 के माध्यम से राज्य को समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करने का निर्देश दिया गया।

आज स्वतंत्रता के लगभग आठ दशक बाद यह विषय पुनः राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में है। विशेष रूप से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता के अध्ययन और क्रियान्वयन के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित किए जाने के बाद यह चर्चा और अधिक प्रासंगिक हो गई है। यह केवल एक विधिक सुधार का विषय नहीं है, बल्कि संविधान, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीय एकता और आधुनिक भारत के निर्माण से जुड़ा व्यापक प्रश्न है।

समान नागरिक संहिता का तात्पर्य ऐसे समान नागरिक कानूनों से है जो देश के सभी नागरिकों पर बिना किसी धार्मिक भेदभाव के समान रूप से लागू हों। वर्तमान में भारत में विवाह, तलाक, भरण-पोषण, गोद लेना, उत्तराधिकार, संपत्ति का बंटवारा और पारिवारिक संबंधों से जुड़े अनेक मामलों में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून (Personal Laws) लागू हैं। उदाहरण के लिए हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम एवं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, मुसलमानों के लिए शरीयत आधारित व्यक्तिगत कानून, ईसाइयों के लिए भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम तथा पारसी समुदाय के लिए पृथक वैवाहिक और पारिवारिक कानून लागू हैं। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य इन सभी अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक ऐसा नागरिक कानून लागू करना है जो सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू हो।

यह समझना आवश्यक है कि UCC का संबंध धार्मिक पूजा-पद्धति, उपासना, धार्मिक अनुष्ठानों या आस्था से नहीं है। इसका संबंध केवल नागरिक जीवन के उन पहलुओं से है जो विवाह, परिवार, संपत्ति और उत्तराधिकार से जुड़े हैं। इसलिए इसे धार्मिक हस्तक्षेप के बजाय नागरिक अधिकारों की समान व्यवस्था के रूप में देखा जाना चाहिए।

भारत का संविधान केवल शासन का दस्तावेज नहीं,

बाल काव्य

वह कागज की कश्ती, वह बारिश का पानी, समस्त्रष्णि का आसमान में देखना, गर्मियों की छुट्टी में छत पर सोना, तारे देखना,रबड़ की गेंद जो हमें बचपन में यूँ ही मिल जाती थी लेकिन आज के बचपन में मोटी रकम खर्च करने पर भी नसीब नहीं होती क्योंकि यह जो पीढ़ी है, वह न तो छत पर सोती है,न मिट्टी में खेलती है ।वह तो वर्चुअल दुनिया के सहारे बड़ी होती है। जिसके पास दुनिया की बेहतरीन सुविधाएँ हैं लेकिन वह मजा नहीं,जो हमें न भूलने वाला सबक सिखाता था।

हमें दादी और नानी की गोद मिलती थी ।वह हमें कहानी कहती थीं जिनको सुनकर संवेदनशीलता जिंदा रहती थी। हमारे जमाने का बाल साहित्य भी अब पढ़ने में नहीं आता। मोबाइल ने आज के बचपन को छीन लिया, लेकिन हम कोशिश करें तो भविष्य की दशा और दिशा निर्धारित करने वाला साहित्य तो रच सकते हैं।

यह विचार मुझे अनुपमा श्रीवास्तव अनुश्री की ‘संस्कृति के ध्वजवाहक’ बाल काव्य संकलन पढ़ते समय आया कि इस पुस्तक में वह सब है जो हमें चाहिए।

वह खेल, वह नजदीकी प्रकृति से, पार्क में खेल-कूद, चिड़ियाघर,तितली देखना, परिवार में परस्पर संवादात्मकता, भाषा, इतिहास, परंपरा, जड़ों से जुड़े हुए श्रेष्ठ जीवन मूल्य, जो भारतीय संस्कृति को उत्कर्ष

अध्यात्म

डॉ. परविंदर शर्मा

सहायक प्राध्यापक, श्री गुरु तेग बहादुर भारतीय सभ्यता एवं धार्मिक परंपरा केंद्र, बठिंडा

मानव जीवन की सबसे बड़ी खोज शांति की खोज है। युगों से मनुष्य इस प्रश्न का उत्तर ढूंढता रहा है कि आत्मा को सच्ची शांति कहाँ मिलती है? इस प्रश्न का उत्तर हमारे ऋषि-मुनियों ने योग और धर्म के समिंमलन में खोजा था। जब योग और धर्म एक साथ चलते हैं, तो जीवन एक दिव्य संगीत की तरह बन जाता है जिसमें हर सांस एक राग है और हर पल एक पवित्र अनुभव करता है, धर्म केवल पूजा-पाठ या कर्मकांड का नाम नहीं बल्कि धर्म का अर्थ है वह मार्ग जो मनुष्य को उसके सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। और योग वह साधन है जिसके द्वारा इस मार्ग पर चलना संभव होता है। दोनों मिलकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करते हैं।

भारतीय दर्शन में धर्म शब्द की व्युत्पत्ति ‘धृ’ धातु से हुई है जिसका अर्थ है ‘धारण करना’। अर्थात् जो सुष्टि को, समाज को और आत्मा को धारण करे, वही धर्म है। धर्म कोई बाहरी आचरण नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुशासन है जो व्यक्ति के विचार, वाणी और कर्म को

यूसीसी : संवैधानिक संकल्प से सामाजिक समरसता तक

समान नागरिक संहिता का तात्पर्य ऐसे समान नागरिक कानूनों से है जो देश के सभी नागरिकों पर बिना किसी धार्मिक भेदभाव के समान रूप से लागू हों। वर्तमान में भारत में विवाह, तलाक, भरण-पोषण, गोद लेना, उत्तराधिकार, संपत्ति का बंटवारा और पारिवारिक संबंधों से जुड़े अनेक मामलों में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून (Personal Laws) लागू हैं। उदाहरण के लिए हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम एवं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, मुसलमानों के लिए शरीयत आधारित व्यक्तिगत कानून, ईसाइयों के लिए भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम तथा पारसी समुदाय के लिए पृथक वैवाहिक और पारिवारिक कानून लागू हैं। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य इन सभी अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक ऐसा नागरिक कानून लागू करना है जो सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू हो। यह समझना आवश्यक है कि UCC का संबंध धार्मिक पूजा-पद्धति, उपासना, धार्मिक अनुष्ठानों या आस्था से नहीं है। इसका संबंध केवल नागरिक जीवन के उन पहलुओं से है जो विवाह, परिवार, संपत्ति और उत्तराधिकार से जुड़े हैं। इसलिए इसे धार्मिक हस्तक्षेप के बजाय नागरिक अधिकारों की समान व्यवस्था के रूप में देखा जाना चाहिए।

बल्कि राष्ट्र निर्माण का दर्शन है। संविधान सभा में समान नागरिक संहिता पर विस्तृत चर्चा हुई थी। संविधान निर्माता मानते थे कि भविष्य में भारत को एक समान नागरिक व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए। भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ. भीमराव आंबेडकर का स्पष्ट मत था कि एक आधुनिक राष्ट्र में नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार धर्म आधारित भिन्नताओं पर निर्भर नहीं होने चाहिए। उन्होंने माना कि राज्य को सामाजिक सुधार और समानता की दिशा में आगे बढ़ने का अधिकार और दायित्व दोनों हैं। इसी सोच के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेख किया गया कि राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

भारत में व्यक्तिगत कानूनों की वर्तमान व्यवस्था का इतिहास औपनिवेशिक काल से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने आपराधिक कानूनों को तो एक समान बनाया, लेकिन विवाह और पारिवारिक मामलों में धार्मिक समुदायों के अलग-अलग कानूनों को जारी रखा। स्वतंत्रता के बाद भी यह व्यवस्था काफी हद तक बनी रही। 1955-56 में हिंदू कानूनों में व्यापक सुधार किए गए, लेकिन सभी समुदायों के लिए समान नागरिक कानून नहीं बन पाए। परिणामस्वरूप आज भी भारत में नागरिक जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र धर्म आधारित अलग-अलग कानूनों द्वारा संचालित होते हैं।

समान नागरिक संहिता लागू करने की आवश्यकता सबसे पहले संविधान की मूल भावना को साकार करने के लिए है। भारतीय संविधान समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। जब सभी नागरिक मतदान करते, कर देने और आपराधिक कानूनों का पालन करने में समान हैं, तो विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में अलग-अलग कानूनों का औचित्य स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बनता है। UCC संविधान की समानता की भावना को व्यवहारिक रूप देने का माध्यम बन सकता है।

महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा भी UCC की

आवश्यकता का एक महत्वपूर्ण आधार है। भारत में व्यक्तिगत कानूनों के कारण कई बार महिलाओं को विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में असमान परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। समान नागरिक संहिता महिलाओं को समान कानूनी अधिकार प्रदान करने, संपत्ति में समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करने, विवाह और तलाक के मामलों में समान सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा लैंगिक न्याय को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण



कदम सिद्ध हो सकती है। वास्तव में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दृष्टि से UCC को एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार माना जा रहा है।

राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने की दृष्टि से भी UCC का विशेष महत्व है। एक राष्ट्र में नागरिकों के लिए अलग-अलग नागरिक कानून होने से कभी-कभी कानूनी और सामाजिक जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। समान नागरिक संहिता यह संदेश देती है कि राष्ट्र में नागरिकता सर्वोपरि है और सभी नागरिक कानून की दृष्टि से समान हैं। इससे राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और संवैधानिक राष्ट्रवाद को मजबूती मिल सकती है।

न्यायिक व्यवस्था को सरल बनाने में भी UCC महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के कारण न्यायालयों को अनेक जटिल विवादों

और कानूनी व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि एक समान नागरिक कानून लागू होता है तो कानूनी अस्पष्टता कम होगी, मुकदमों में कमी आएगी और न्यायिक प्रक्रिया अधिक सरल एवं प्रभावी बन सकेगी।

आज का भारत तेजी से बदल रहा है। शिक्षा, शहरीकरण, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, अंतर्धार्मिक विवाहों में वृद्धि और बदलती सामाजिक संरचना ने नागरिक जीवन को नया स्वरूप दिया है। ऐसे में नागरिक कानूनों का आधुनिक, वैज्ञानिक और समान स्वरूप समय की आवश्यकता बन गया है। विकसित भारत की परिकल्पना तभी सार्थक हो सकती है जब सामाजिक न्याय और विधिक समानता भी उसके साथ-साथ आगे बढ़े।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी समय-समय पर समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल देता रहा है। शाहबानो प्रकरण (1985) में न्यायालय ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए UCC की आवश्यकता का उल्लेख किया था। इसीप्रकार सर्ला मुद्दल प्रकरण (1995) में भी सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में गंभीर विचार की आवश्यकता व्यक्त की थी। न्यायालय

का मत रहा है कि समान नागरिक कानून राष्ट्रीय एकता और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक हो सकते हैं। भारत में गोवा राज्य को समान नागरिक संहिता के एक व्यावहारिक उदाहरण के रूप में देखा जाता है। वहां विवाह पंजीकरण, संपत्ति अधिकार और उत्तराधिकार से संबंधित अनेक प्रावधान सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होते हैं। इसलिए गोवा मॉडल को अक्सर UCC के संदर्भ में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता के अध्ययन और सुझावों के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। राज्य सरकार का उद्देश्य विभिन्न समुदायों से संवाद स्थापित करना, सामाजिक एवं कानूनी प्रभावों का अध्ययन करना, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की

सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा एक व्यवहारिक और न्यायसंगत मसौदा तैयार करना है। यदि यह प्रयास सफल होता है तो मध्यप्रदेश देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है।

हालांकि UCC को लेकर कुछ आशंकाएं भी व्यक्त की जाती हैं। कुछ लोगों का मानना ​​है कि इससे उनकी पारंपरिक धार्मिक या सांस्कृतिक व्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ सकता है। विशेष रूप से जनजातीय समजों की विशिष्ट परंपराओं और सामाजिक संरचनाओं को लेकर भी चर्चा होती रही है। इसलिए आवश्यक है कि UCC को लागू करते समय संविधान की पांचवीं अनुसूची, जनजातीय अधिकारों और सांस्कृतिक विविधताओं का पूरा सम्मान किया जाए। किसी भी कानून की सफलता उसकी सामाजिक स्वीकार्यता पर निर्भर करती है, इसलिए व्यापक संवाद और सहमति अत्यंत आवश्यक है।

वास्तव में समान नागरिक संहिता का उद्देश्य विविधताओं को समाप्त करना नहीं, बल्कि विविधताओं के बीच समान न्याय स्थापित करना है। यह किसी धर्म, संप्रदाय या संस्कृति के विरुद्ध नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों की समान सुरक्षा का प्रयास है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का आधार नागरिकता होना चाहिए, न कि धार्मिक पहचान।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि समान नागरिक संहिता भारत की संवैधानिक यात्रा का वह अध्याय है जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की थी। इसका मूल उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, समान अवसर और समान न्याय प्रदान करना है। आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है, तब कानून की दृष्टि से नागरिकों की समानता का प्रश्न और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्यप्रदेश द्वारा UCC की दिशा में उठाया गया कदम केवल एक प्रशासनिक पहल नहीं, बल्कि संविधान के अधूरे संकल्प को पूर्ण करने का प्रयास माना जा सकता है।

जब कानून सबके लिए समान होगा, तब संविधान की आत्मा वास्तव में जन-जन तक पहुंचेगी। समान नागरिक संहिता का लक्ष्य विविधताओं को मिटाना नहीं, बल्कि समानता, न्याय, समरसता और राष्ट्रीय एकता के आधार पर एक सशक्त भारत का निर्माण करना है। यही संविधान का संदेश है, यही आधुनिक भारत की आवश्यकता है और यही भविष्य के विकसित भारत की दिशा है।

संस्कृति के ध्वजवाहक: बच्चों के हाथों में होनी चाहिए किताब

प्रदान करते हैं। इस विषय में अपनी बात में लेखिका ने लिखा है- रचनाएँ स्वयं बोलती हैं उदाहरण के लिए- 'हम बच्चे' शीर्षक से वह कहती हैं- साथ देती है हरी- भरी प्रकृति माँ उड़ती रंगीन तितलियाँ और सुहानी बदलिया। चमकता सूरज और इन सब के साथ डूबी- डूबी हमारी मस्तियाँ। पाएँगे जो लक्ष्य है - इस कविता में आज के बच्चों को सही दिशा में निर्देशित किया गया है - 'बिना प्रयास सफलता मिलती नहीं ऐसा कोई शॉर्टकट, ऐसी कोई मिस्र्ट्री नहीं गाड़ना है सफलता के झंडे बदलना है हिस्ट्री तो समझनी पड़ेगी सही लक्ष्य की जियोग्राफी भावनाओं की केमिस्ट्री।' 'संस्कृति के ध्वजवाहक' कविता में वह कहती हैं-

हम संस्कृति के ध्वजवाहक संसार जगाने आए । सदुणों की अखंड ज्योति से अंधकार मिटाने आए।।



राष्ट्रवाद का उद्घोष करते हुए वह 'धन्य धरा भारत

की' कविता में कहती हैं - जीवन को सुरभित करती मन को पवित्र करती आवरण को शुद्ध करती उत्तरोत्तर आदमी से देवत्व की ओर प्रेरित करती भारत की यह दिव्य धरती। वहीं 'नन्हे दीये' कविता में 'आत्म दीपो भव' का भाव और 'सत्यमेव जयते' की हुंकार है- हौसला और संकल्प से सजे वतन की बुनियाद हैं हम। संस्कारों का लिबास पहनकर गढ़ेंगे भारत का गणतंत्र अग्रतिमा।। वहीं बच्चों के गैजेट प्रेम पर भी कहीं 'मोबाइल का हॉलिडे' है तो कहीं एक नटखट तंज भी - हम जब गैजेट्स चलाते हैं अच्छे-अच्छों के होश उड़ जाते हैं। सब ने मानी हमारी बुद्धिमानि नानी को भी याद आ जाती है नानी! प्रकृति का आँगन, माँ तू ही तो है, छुट्टी, नई कहानी, मेरी दीपशिखा,दशहरा, मोबाइल का हॉलिडे, मैं और मेरी डायरी, घर में संवाद ,अच्छी पुस्तक- सच्ची मित्र, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जीवन है अनमोल, पेड़ लगाए, हम जागेंगे- जगाएँगे, हम हैं नई पीढ़ी आदि शीर्षक से लिखी कविताएँ क्या संदेश देती

हैं पाठक स्वयं पढ़कर सोचें कि ऐसी पुस्तक अलम्रीरा की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। यह गंतव्य और मंतव्य से भरपूर है यानी इन पुस्तकों को बच्चों के हाथों में पहुँचना बहुत जरूरी है ताकि उनके अंदर अपनी परंपरा, धर्म,संस्कृति, भाषा, राष्ट्रियता, संवेदनशीलता के बीज अधिरोधित हो सकें।

अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि इसे पढ़ कर बच्चों को ऐसा अनुभव होगा जितना हमारा अपना था और वह अपने परिवेश और समसामयिक स्थितियों से भी खुद को जोड़ पाएँगे। ज्ञानवर्धक और मनोरंजन शैली में लिखी हुई ये कविताएँ हमारी मित्र बनकर यह विवेक देती है कि हमें कैसे अपने आप को सकारात्मक, विवेकवान, शिक्षित और सुसंस्कृत बनाना है। सुंदर कलेवर, काव्यभावानुकूल सुंदर चित्र संयोजन,ग्लेज्ड पेजेज के साथ यह पुस्तक बहुत आकर्षक बन पड़ी है।

आज बच्चे जो सीख रहे हैं, वह सिंगल फेमिली के दौर की बातें हैं जहाँ कहानियों का कोई स्थान नहीं लेकिन अब वह समय दूर नहीं जब हम ऐसे साहित्य की तलाश करेंगे जो संस्कार दे और हमें अपनी संस्कृति से जोड़कर रखें।

रचनाकार- अनुपमा श्रीवास्तव अनुश्री
पुस्तक मूल्य- 125
उपलब्धता -फ्लिपकार्ट
प्रकाशक- समृद्ध प्रकाशन,दिल्ली

आत्मा की शांति: योग और धर्म का पवित्र संगम

शुद्ध करता है। ‘गीता में भगवान श्रीकृष्ण जी कहते है श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधमोत्स्नयुष्ठितात्।’ (गीता 3:35)

अर्थात् अपना धर्म, चाहे कितना भी अपूर्ण हो, दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि धर्म व्यक्तिगत है, आत्मा की पुकार है और जीवन जीने की एक पवित्र शैली है। योग शब्द संस्कृत के ‘युज्’ धातु से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना। योग का वास्तविक उद्देश्य जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना है। महर्षि पतंजलि ने योगसूत्र में कहा ‘योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः’ अर्थात् चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अष्टांग योग के आठ अंग : यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि एक सम्पूर्ण जीवन दर्शन हैं। इनमें से यम और नियम सीधे धर्म से जुड़े हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये यम के पाँच अंग हैं जो धार्मिक जीवन की नींव हैं।

योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है। यह एक समग्र जीवन पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को साधती है। जब कोई व्यक्ति योग के माध्यम से अपने मन



को शांत करता है, तो उसे धर्म का वास्तविक अर्थ स्वतः समझ में आने लगता है। योग और धर्म का संबंध वैसा ही है जैसे नदी और उसके किनारों का। नदी का प्रवाह

योग है और किनारे धर्म हैं। यदि किनारे न हों तो नदी का जल बिखर जाएगा, और यदि जल न हो तो किनारे व्यर्थ हैं। दोनों मिलकर जीवन को एक सार्थक दिशा देते हैं।

धर्म हमें बताता है कि क्या करना चाहिए सत्य बोले, प्रेम करो, सेवा करो। और योग हमें वह शक्ति देता है जिससे हम ऐसा कर सकें। ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास से मन इतना शांत और स्थिर हो जाता है कि धर्म का पालन स्वाभाविक रूप से होने लगता है। तब किसी बाहरी दबाव की आवश्यकता नहीं होती। भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं को ‘योगेश्वर’ कहा और गीता में ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग तथा राजयोग का विस्तृत वर्णन किया। यह स्पष्ट करता है कि योग और धर्म अलग नहीं हैं: योग ही धर्म का व्यावहारिक रूप है।

आज के भागदौड़ भरे जीवन में मनुष्य तनाव, अवसाद और आत्मिक शुन्यता से जूझ रहा है। भौतिक सुख-सुविधाएँ होने के बावजूद मन अशांत है। इसका

कारण यह है कि हमने योग और धर्म को अपने जीवन से अलग कर लिया है। यदि हम प्रतिदिन केवल 30 मिनट योगाभ्यास करें और धर्म के मूल सिद्धांतों सत्य, प्रेम, करुणा और सेवा को अपने दैनिक जीवन में उतारें, तो हमारा जीवन बदल सकता है। योग से शरीर और मन स्वस्थ होते हैं, और धर्म से जीवन को एक उद्देश्य और दिशा मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि पूरा विश्व अब योग की शक्ति को मान रहा है। भारत ने जो ज्ञान हजारों वर्षों पहले दिया था, आज वह विश्व के कोने-कोने में फैल रहा है।

योग और धर्म का यह पवित्र संगम आत्मा की शांति का सर्वोत्तम मार्ग है। जब हम योग के द्वारा अपने मन को साधते हैं और धर्म के द्वारा अपने जीवन को दिशा देते हैं, तो हमारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होता है। भय दूर होता है, क्रोध शांत होता है, और जीवन में एक दिव्य आनंद का अनुभव होता है। आत्मा की यह शांति किसी बाहरी वस्तु में नहीं मिलती। यह तो हमारे भीतर ही छुपी है और योग व धर्म वे दिव्य चाबियाँ हैं जो इस खजाने को खोल देती हैं। इसलिए आइए, हम सब मिलकर इस पवित्र मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सार्थक और आनंदमय बनाएँ। ‘योगः कर्मसु कौशलम्’ (गीता 2:50) (योग ही कर्मों में कुशलता है)

दिविजय सिंह जी के संसद में 12 वर्ष

ओमप्रकाश शर्मा

(लेखक पूर्व मुख्यमंत्री दिविजय सिंह जी के निजी सचिव हैं)

वर्ष 1977 से कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह 21 जून को राज्यसभा सांसद के पद से सेवानिवृत्त हो गये। यह उनका राज्यसभा सदस्य के रूप में दूसरा कार्यकाल था और 12 साल तक उन्होंने संसद में मध्यप्रदेश और देश के लोगों की आवाज को दृढ़ता से उठाया। किसी भी व्यक्ति की सफलता इस बात से तय नहीं होती कि उसने क्या हासिल किया है, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसने सामान्य मानव के जीवन में श्रेष्ठतम बदलाव लाने के लिये क्या प्रयास किये हैं। व्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये हैं। मानवीय संवेदनाओं ने उसे कितना स्पर्श किया। यदि इसी पैमाने पर दिग्विजय सिंह के 12 साल के संसदीय कार्यकाल की जाँच-पड़ताल की जाये तो वे जहाँ एक ओर राष्ट्र के हर कोने के व्यक्ति के जीवन को सुखद बनाने के लिये प्रयासरत दिखाई देते हैं वहीं मध्यप्रदेश के किसान, छात्र, महिलाओं, श्रमिकों, छोटे और लघु उद्यमियों, गरीबों और समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों की आवाज भी संसद में उठाते देखे गये हैं।

बीते 12 वर्षों में दिग्विजय सिंह जी ने संसद में कुल 1010 प्रश्न पूछे। यह अलग बात है कि उनमें से सरकार ने सिर्फ 530 प्रश्नों के उत्तर दिये हैं, शेष को अस्वीकार कर दिया। 28 प्रश्नों के उत्तर देने का आश्वासन दिया। दिग्विजय सिंह ने हर बड़े राष्ट्रीय और संवैधानिक विषयों को बहुत ही संजीवरी, जिम्मेदारी और प्रभावी तरीकों से उठाकर न सिर्फ

जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का करें त्वरित निराकरण : कलेक्टर

कलेक्टर ने जनसुनवाई में सुनीं नागरिकों की समस्याएं

बैतूल। कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवणे ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रातः 11 बजे से आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं ध्यान पूर्वक सुनीं। जनसुनवाई के दौरान राजस्व,भूमि विवाद, पेशन, आवास, बिजली, पानी सहित अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुई। इस दौरान उन्होंने कई प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर मौके पर ही निराकरण कराया, वहीं शेष मामलों में समय-सीमा तय करते हुए अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में कोठीबाजार बैतूल निवासी पिंकी साहू ने बताया कि उनके पति की मृत्यु के पश्चात अनुकम्पा नियुक्ति के स्थान पर 5 वर्ष तक का वेतन दिए जाने के आदेश हुए थे। किंतु अभी तक राशि प्राप्त नहीं होने से काफी परेशानी हो रही है। जिस पर कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने जिला शिक्षा अधिकारी से प्रकरण की जानकारी ली तथा तत्काल आवेदन निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आज निराकरण नहीं होता है तो लापरवाही की स्थिति में विकासखंड शिक्षा अधिकारी बैतूल और संकुल प्रचार्य बैतूल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएं। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जनसुनवाई में देवाता न आना पड़े। इस दौरान अপর कलेक्टर वंदना जाट, संयुक्त कलेक्टर मकसूद अहमद ने भी नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर सभी विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। जनसुनवाई में ग्राम बघोली निवासी उमा माकोड़े ने अवैध रूप से नाली निर्माण की शिकायत की। प्राप्त आवेदन पर कलेक्टर ने बैतूल जनपद

शराब दुकान में नकबजनी करने वाले चोर को सिलारी थाना माखननगर से किया गिरफ्तार

सोहागपुर। पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण थोटा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अभिषेक राजन, एसडीओ पुलिसश्री संजु चौहान के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गिरीश त्रिपाठी के निर्देशन में विगत एक माह पूर्व शराब दुकान में नकबजनी कर दुकान से नगदी रुपये चोरी करने वाले आरोपी उमेश उर्फ कालू बहेलिया पिता जकसन बहेलिया उम्र 25 साल निवासी ग्राम सिलारी चौाहिट थाना माखननगर को गिरफ्तार करके आरोपी को न्यायिक अभिभार में भेजा गया। पुलिस ने बताया दिनांक 17 मई2026 को फरियादी राजेन्द्र मिश्रा पिता देवपाल मिश्रा, सेल्समेन शराब दुकान सोहागपुर ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 16. 17 मई की दरम्यानी तब किसी अज्ञात व्यक्ति ने शराब दुकान में टीन शेड का स्क्रू खोलकर दुकान के अंदर घुसकर शराब दुकान के केस काउंटर मे रखे लगभग 25 हजार रुपये चोरी कर लिए। पुलिस ने अपराध क्रमांक 315/2026 धारा 331(4),305 (आ) बीपानएस पंजीबद्ध कर विवेचना की जिसमें घटना स्थल के अस्पास लगे सीसीटीवी फुटेज चैक किए गए। आरोपी की तलाश हेतु तकनीकी साधनों की मदद ली गई। जिसमें आरोपी की तलाश की गई ।

अमड़ोरा के शर्मा परिवार ने मां को दी अनोखी श्रद्धांजलि: ‘एक पेड़ मां के नाम’ के तहत सौपे 5 हजार पौधे

माँ कमलादेवी शर्मा की याद अब पेड़ों में जिएगी, दुख की घड़ी को संकल्प में बदला

धार। अमड़ोरा में शर्मा परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी की ‘एक पेड़मां के नाम’ पहल को धरातल पर उतारकर मिसाल पेश की है। माताजी कमलादेवी शर्मा के निधन पर पुत्रों अधिन शर्मा, अरुण शर्मा और अविनाश शर्मा ने दुख की घड़ी को पर्यावरण संरक्षण के संकल्प में बदल दिया। तेहरवीं के अवसर पर परिवार ने 1 लाख रुपए मूल्य के 5 हजार पौधे जिला प्रशासन को भेंट किए। इन पौधों को जिले के विभिन्न स्थानों पर लगाकर संरक्षित किया जाएगा। शर्मा परिवार की इस पहल की ग्राम अमड़ोरा सहित पूरे जिले में चर्चा हो रही है। लोगों का मानना है कि श्रद्धांजलि देने का यह अनोखा तरीका समाज के लिए प्रेरणा बनेगा।

इन पौधों के रूप में मां की याद हमेशा यादगार बनी रहेगी- इस मौके पर अधिन शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ‘एक पेड़मां के नाम’ पहल से

सरकार को असहज किया बल्कि आम जनता में यह भी विश्वास पैदा किया कि उनकी आवाज संसद में वैसे ही पहुँच रही है, जैसी पहुँचनी चाहिए।

यद्यपि दिग्विजय सिंह 5 बार मध्यप्रदेश विधानसभा के सदस्य, मध्यप्रदेश सरकार में सिंचाई, कृषि और मत्स्यपालन जैसे विभागों के मंत्री, दस वर्षों तक मुख्यमंत्री, आठवीं और दसवीं लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं किन्तु अपने संसदीय कार्यकाल में संसद की स्थायी समितियों में रहते हुए उनके कार्यकाल को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। उन्होंने भारत सरकार की वित्त विभाग, गृह, कॉर्पोरेट मामलों, और शहरी आवास एवं विकास जैसी महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई हैं। संसद की नियम समिति और विशेषाधिकार समिति के सदस्य के रूप में तथा विकसित भारत अधिष्ठान बिल सहित अनेक विधेयकों पर बनाई गई सेलेक्ट कमेटियों के सदस्य के साथ संसद भवन परिसर की सुरक्षा के लिये बनी संयुक्त संसदीय समिति में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। किन्तु राज्यसभा के सदस्य के रूप में उनके कार्यकाल में गृह विभाग की संसदीय समिति तथा शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, युवा और खेल विभाग की संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल सबसे अधिक स्मरणीय रहेगा।

एक राजनेता में मानवीय संवेदनाएँ भी कितनी प्रबल होती हैं, यहाँ इसका एक उदाहरण दर्शाना प्रासंगिक होगा। दिग्विजय सिंह जी वर्ष 2023 में गृह विभाग की स्थायी

संसदीय समिति के सदस्य थे। इसी दौरान जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक ने अपने कार्यकाल में पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर दावा किया था कि गृह विभाग के इंटेलिजेंस सिस्टम की नाकामी के कारण इस



हमले में 40 जवान शहीद हो गये। यह केन्द्र सरकार पर एक राज्यपाल जैसे जिम्मेदार संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति का गंभीर प्रहार था जिसने मोदी सरकार को असहज कर दिया था। दिग्विजय सिंह ने गृह विभाग की संसदीय समिति के सदस्य के रूप में समिति के तत्कालीन अध्यक्ष श्री ब्रजलाल को पत्र लिखा और सत्यपाल मलिक सहित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आई.बी. के डायरेक्टर तथा जम्मू एवं कश्मीर के पुलिस महानिदेशक को समिति के सामने उपस्थित करने तथा ऑन-कैमरा मीटिंग किये जाने का प्रस्ताव रखा।

दिविजय सिंह ने इसके लिये लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को भी पत्र लिखा। इस पत्र से न सिर्फ संसदीय समिति ही नहीं, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा के सभापति भी असहज हो गये। चूँकि यह विषय न सिर्फ आतंकवाद का था बल्कि सरकार की साख का भी था। संसदीय समिति के अध्यक्ष ने दिग्विजय सिंह के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि समिति प्रशासनिक मामलों पर विचार नहीं कर सकती।

ऐसा ही एक उदाहरण और याद आता है, जब मणिपुर में मई 2023 में प्रारंभ हुई हिंसा चरम पर थी। मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा था। गृह विभाग की संसदीय समिति से सूचना प्राप्त हुई कि कारागारों में सुधार को लेकर 6, 19 और 27 जुलाई 2023 को बैठकों का आयोजन किया जाना है। इस सूचना की मैंने उन्हें जैसे ही जानकारी दी, वे असहज होते हुए बोले- ‘‘मणिपुर जल रहा है और

हम जेलों की दीवारों पर चर्चा करेंगे? मैं इन बैठकों में नहीं जाऊँगा।’’ इसके बाद दिग्विजय सिंह जी ने संसदीय समिति के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा जिसमें हिंसा से जलते मणिपुर के राहत शिविरों में 40 माताओं द्वारा बच्चों को जन्म देने, 250 से अधिक चर्च को जला देने, 100 से अधिक मंदिरों को आग के हवाले कर देने की भयावहता की बात कहते हुए उक्त बैठकों को स्थगित करके मणिपुर हिंसा के तत्काल समाधान निकालने के लिये बैठक करने का सुझाव दिया गया था। मैंने भी भीगी आँखों से उस दिन वह पत्र तैयार किया था।

कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ का बड़ा ऐक्शन

चम्बल अभ्यारण्य में अवैध खनन से जुड़े 19 आरोपी एक वर्ष के लिए जिलाबदर

भोपाल/मुँना । राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य क्षेत्र के प्रतिबंधित क्षेत्र में पूर्व में अवैध रेत उखनन, भंडारण एवं परिवहन जैसी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने सख्त कार्रवाई करते हुए 19 आरोपियों को जिलाबदर करने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक श्री धर्मराज मीणा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई है। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अवैध रेत उखनन, परिवहन एवं विक्रय से जुड़े विभिन्न प्रकरण दर्ज पाए गए हैं। उनके कृत्यों से न केवल लोक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी, बल्कि राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य के पर्यावरणीय संतुलन एवं जैव विविधता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिलाबदर आदेश जारी किए गए हैं। जिलाबदर किए गए व्यक्तियों में रामनिवास पुत्र हरिकंठ गुर्जर निवासी जैतपुर, रत्नवीर पुत्र भगवान सिंह गुर्जर निवासी जैतपुर, डरूआ पुत्र नारायण सिंह गुर्जर निवासी जैतपुर, साहब सिंह पुत्र ब्रखभान सिंह गुर्जर निवासी कैमरा, सुल्तान पुत्र सोवरन गुर्जर निवासी जैतपुर, केशव पुत्र बलवीर सिंह निवासी नायकपुरा, भरत पुत्र सोनेराम गुर्जर निवासी पिपराई, बलिस्टर पुत्र सियाराम गुर्जर निवासी कैमरा, धारा सिंह पुत्र गंधन सिंह गुर्जर निवासी कैथरी, माखन पुत्र जगदीश गुर्जर निवासी कैमरा, टाढ़गर उर्फ भूपेन्द्र पुत्र लाखन सिंह गुर्जर निवासी कैमरा, भवूती पुत्र हाकिम गुर्जर निवासी जैतपुर, चीकू पुत्र संतोष गुर्जर निवासी बंधा, ऑफिसर पुत्र रघुनाथ सिंह गुर्जर निवासी बंधा, शेरा उर्फ जवरा पुत्र सरूपा उर्फ रामस्वरूप गुर्जर निवासी पचोखरा, पप्पू पुत्र कप्तान सिंह गुर्जर निवासी बंधा, बादशाह पुत्र रमेश गुर्जर

विधायक कार्यालय में डॉ. मुखर्जी के बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि

सोहागपुर। सोहागपुर विधायक विजयपालसिंह के कार्यालय में ब्लाक भारतीय जनता पार्टी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने डॉ. मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्रवाद, एकात्मता एवं जनसेवा का प्रतीक है। उनका बलिदान देश की एकता और अखंडता के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। इस अवसर पर नगर पंचायत परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि यशवंत पटेल, नगर पंचायत परिषद उपाध्यक्ष आकाश रघुवंशी, मंडल अध्यक्ष अश्वनी सरोज, पापंद आशीष विश्वकर्मा, मंडल महामंत्री कृष्ण गढ़वाल एवं घनश्याम रघुवंशी सहित भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।



अपने प्रेरक उद्बोधन में पूर्व राजदूत श्री दीपक वोहरा ने कहा कि जन परिषद की 37 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, उसके सेवा कार्यों तथा राष्ट्रीय एवंअंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित पहचान को देखते हुए यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि आने वाली पीढ़ियां जन परिषद के रचनात्मक गीतों कोगुनगुनाएंगी। उन्होंने कहा कि आज विश्व अनेक चुनौतियों और अस्थिरताओं के दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय में जन परिषद जैसी संस्थाएं समाज कोसकारात्मक दिशा प्रदान कर रही हैं। श्री वोहरा ने कहा कि वे इन दिनों अत्यंत व्यस्त थे और भोपाल आने की स्थिति में भी नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने जन परिषद के इतिहास, उपलब्धियोंऔर कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा भोपाल के अपने मित्रों से संस्था के संबंध में चर्चा की।

निर्धारित समयावधि में 6 लाख 11 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को मिले नये बिजली कनेक्शन

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु सरल और सुविधाजनक तरीके से त्वरित नवीन बिजली कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। इसके लिए उपभोक्ताओं को सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते ही निर्धारित समयावधि में घर बैठे ही नवीन कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

गौरतलब है कि कंपनी द्वारा विगत जुलाई 2023 से शुरू किये गये ऑनलाइन सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से अब तक भोपाल शहर एवं भोपाल ग्रामीण वृत्त में ०1 लाख 21 हजार 619 नए कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं, जबकि पूरे कंपनी कार्यक्षेत्र में 06 लाख 11 हजार से अधिक नए कनेक्शन सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रदान किये गए हैं। इनमें 10 किलोवॉट तक के अस्थायी कनेक्शन भी शामिल हैं।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने बताया है कि कंपनी के सरल संयोजन पोर्टल पर आवेदन करते ही निर्धारित समयावधि में तत्काल नया बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। नये कनेक्शन लेने हेतु उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी के पोर्टल अथवा PAY एप पर जाकर जरूरी दस्तावेज अपलोड कर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदक द्वारा विधिवत ऑनलाइन आवेदन और भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत बिजली कंपनी द्वारा सर्वे एवं अन्य औपचारिकताएं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कर उपभोक्ता के परिसर में नया कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा।



संक्षिप्त समाचार

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने प्रभावी कदम उठाएं: कलेक्टर विश्वकर्मा



रायसेन (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने किए जा रहे कार्यों और गतिविधियों की समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा तथा एसपी श्री आशुतोष गुप्ता द्वारा गत बैठक के पालन प्रतिवेदन अनुसार संबंधित अधिकारियों से अभी तक की गई कार्यवाही की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा तथा एसपी श्री गुप्ता ने जिले में ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किए गए दुर्घटना संभावित स्थलों के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए सड़क दुर्घटनाओं को रोकने विभिन्न उपायों पर चर्चा करते हुए सड़क दुर्घटनाओं को रोकने शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक में स्कूल, कॉलेज चिकित्सालय सहित अन्य स्थलों के समीप सड़कों पर कैट आई, विभिन्न संकेतक चिन्ह या साइन बोर्ड, रैलिंग लगाने के भी निर्देश दिए। बैठक में स्कूल, कॉलेजों तथा सार्वजनिक स्थलों पर भी यातायात नियमों तथा सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता गतिविधियां आयोजित किए जाने पर भी चर्चा की गई। साथ ही ट्रिप एण्ड रन मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना के प्रकरणों पर चर्चा कर प्रभावितों को शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दीपक नायक, यातायात प्रभारी लता मालवीय सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

नारकोटिक्स एवं नशीली दवाओं की रोकथाम हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न

रायसेन (निप्र)। जिले में नारकोटिक्स एवं नशीली दवाओं की रोकथाम हेतु कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें कलेक्टर श्री विश्वकर्मा तथा पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष गुप्ता द्वारा जिले में नारकोटिक्स एवं नशीली दवाओं की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से मेडिकल की दुकानों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि मेडिकल दुकानों पर डॉक्टर के प्रिसक्रिप्शन के बिना दवाओं या सीरप का वितरण नहीं हो, यह भी सुनिश्चित कराएं। इसी प्रकार बंद पड़ी फैक्ट्रियों, कारखानों आदि उद्योगिक इकाईयों का पुलिस और राजस्व अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने के निदेश दिए।

नगद इनाम की घोषणा

विदिशा (निप्र)। पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानि के द्वारा थाना कोतवाली जिला विदिशा में दर्ज अपराध क्रमांक 112/2025 की विभिन्न धाराओ के फरार आरोपियों में इंदरीश बेदी पुत्र नईम अख्तर निवासी मालवीय वार्ड नम्बर 16 व हनुमान नगर लोधीपुरा बुरहानपुर जिला बुरहानपुर तथा सिविल लाइन जिला विदिशा में दर्ज अपराध क्रमांक 303/2026 के फरार आरोपी हेमंत पुत्र स्व0 नारायण प्रसाद पचौरीनिवासी ए- 21 बालाजी एवेन्यू थाना सिविल लाइन विदिशा की सूचना देने वालों को क्रमशः पांच-पांच हजार रूपए नगद राशि देने की उद्घोषणा की है।

योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता से किया जाए: कलेक्टर विश्वकर्मा

रायसेन (निप्र)। जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उन्होंने बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों, खुला आश्रय गृह में लाभान्वित बालकों, स्पांसरशिप योजना अंतर्गत लाभान्वित बालकों और पीएम केयर अंतर्गत लाभान्वित बालकों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता से किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि बाल कल्याण समिति के समक्ष अप्रैल 2026 से जून 2026 तक प्राप्त 44 प्रकरणों में से 38 प्रकरण निराकृत हो गए हैं तथा शेष प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार जिले में एकमात्र खुला आश्रय गृह, अशासकीय संस्था सियावास समाज कल्याण समिति बेगमगंज में संचालित है। जिसमें 25 बालकों को अस्थायी आश्रय प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। स्पांसरशिप योजना की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि जिले में योजना के तहत 719 बालकों का चिह्नकन किया गया है। इन बालकों को शासन से प्राप्त बजट अनुसार प्रतिमाह चार हजार रू प्रति बालक राशि प्रदान की जाती है। इसी प्रकार कोविड- 19 अंतर्गत जिले में 19 बालकों को पांच हजार रू प्रति बालक के मान से राशि प्रदान की जाती है। पीएम केयर योजना अंतर्गत जिले में 02 बालकों को लाभान्वित किया जा रहा है।

28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का होगा शुभारंभ

सीहोर (निप्र)। जिले में 28 जून से 30 जून तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के जिले के 1,82,084 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के प्रथम दिवस में सभी बूथों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, जबकि आगामी दो दिनों तक विभाग की टीमें घर-घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी। सीएमचओ डॉ सुधीर डेवरिया ने बताया कि सभी विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देश दिए कि गए हैं कि अभियान संबंधी सभी तैयारियां समयपूर्व सुनिश्चित कर ली जाए और पोलियो की खुराक से एक भी बच्चा न छूटे।

■ इछवर एवं भैरुंदा में जनकल्याण शिविर आयोजित

सुशासन, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना के साथ कार्य कर रही प्रदेश सरकार : राजस्व मंत्री

सरकार का लक्ष्य अतिम

पवित में खड़े व्यक्ति

योजनाओं का लाभ पहुंचाना है : केन्द्रीय कृषि मंत्री

सीहोर (निप्र)। इछवर एवं भैरुंदा में जनकल्याण शिविर आयोजित किया गया। इछवर में आयोजित शिविर में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्व मंत्री श्री करणसिंह वर्मा शामिल हुए। इस अवसर उन्होंने जन चौपाल आयोजित कर नागरिकों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। इसके साथ ही शिविर निरीक्षण कर हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा शिविर लगाकर नागरिकों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम पवित में खड़े व्यक्ति तक विकास और जनकल्याण की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जनकल्याण शिविरों के माध्यम से शासन स्वयं जनता के बीच पहुंचकर उनकी



समस्याओं का समाधान कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य सरकार गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा एवं वंचित वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने तथा आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है और किसानों को इसकी कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने किसानों से सॉल्व हेल्थ कार्ड बनवाने और मिट्टी में जिन तत्वों की कमी हो, उसी के अनुसार खाद का उपयोग करने की अपील

की। उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर सड़कों के माध्यम से गांवों में विकास की धारा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कहा कि, इस योजना में सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि आवास योजना के लिए सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है और अब पात्रता का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। जिले में लगभग 21 हजार लोगों का सर्वे किया गया है। सरकार का प्रयास है कि जिन परिवारों के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, उन्हें योजना का लाभ मिले और कोई भी पात्र व्यक्ति इससे वंचित न रहे।

इछवर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्व मंत्री श्री करणसिंह वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर जिलेभर में आयोजित हुए सामूहिक योग कार्यक्रम

स्वस्थ समाज का दिया संदेश

सीहोर (निप्र)। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिलेभर में उत्साह एवं उमंग के साथ सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीहोर जनपद कार्यालय, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, जिला न्यायालय, आरएफे कॉलेज, कन्या शिक्षा परिसर, महिला आईटीआई, डाइट, नगर परिषद रेहटी, जिला अस्पताल, वर्धमान प्राइवेट लिमिटेड, ट्राइडेंट ग्रुप बुधनी सहित अनेक शासकीय एवं निजी संस्थानों में योगाभ्यास कर स्वस्थ एवं निरोगी जीवन का संदेश दिया गया। कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों, विद्यार्थियों तथा बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता कर योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लिया।

सीहोर जनपद कार्यालय में आयोजित योग कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष श्रीमती नावडी बाई, जनपद पंचायत सोईओ श्रीमती नमिता बघेल, एपीओ श्री गुलाब अहिरवार सहित माय भारत एवं हिताय एनजीओ के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से योगासन एवं प्राणायाम किए तथा योग के महत्व को समझते हुए नियमित अभ्यास करने का संकल्प



लिया। इसी प्रकार जिला न्यायालय परिसर में आयोजित योग कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश श्री हेमंत जोशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती विनीता गुप्ता, न्यायाधीश श्री दीपेन्द्र मालू सहित अधिवक्तागण, लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स तथा न्यायालय के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम में योग विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। प्रतिभागियों ने योग को तनावमुक्त एवं स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी बताते हुए इसके नियमित अभ्यास पर बल दिया। जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों,

स्वास्थ्य संस्थाओं एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। आरएफे कॉलेज, कन्या शिक्षा परिसर, महिला आईटीआई एवं डाइट में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास किया। वहीं जिला अस्पताल में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने योग कर स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश दिया। रेहटी नगर परिषद, वर्धमान प्राइवेट लिमिटेड तथा ट्राइडेंट ग्रुप बुधनी में भी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं नागरिकों ने बड़ी संख्या में सहभागिता करते हुए योग के महत्व को रेखांकित किया।

पीएमएफएमई योजना से मिले 27 लाख के लोन से जयप्रकाश ने शुरू की दूध गंगा डेयरी

प्रत्येक माह लगभग 40 हजार की हो रही आमदनी, 20 लोगों को मिला रोजगार



बैतूल (निप्र)। नौकरी की तलाश में लंबे समय तक भटकने के बाद मुलताई तहसील के उड्डा पंखा निवासी श्री जयप्रकाश चिकाने ने हार नहीं मानी। मध्यप्रदेश शासन की पीएमएफएमई योजना का लाभ लेकर उन्होंने दूध गंगा डेयरी की स्थापना की और आज न केवल खुद आत्मनिर्भर बने हैं, अपितु करीब 20 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। दूध गंगा डेयरी संचालक जयप्रकाश चिकाने ने बताया कि योजना के तहत आवेदन करने के बाद उन्हें बैंक से 27 लाख रुपए का ऋण मिला, जिसमें

10 लाख रुपए का अनुदान शामिल है। इस राशि से उन्होंने डेयरी व्यवसाय शुरू किया। वर्तमान में उनकी डेयरी आसपास के 15 से 20 गांवों से प्रतिदिन करीब 4 हजार लीटर दूध का संग्रहण करती है।

उन्होंने बताया कि संग्रहित दूध से दही, घी, मक्खन, पनीर, खोवा और मिठाई जैसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय दुकानों में बेचा जाता है। इसके अलावा नर्मदापुरम की एक निजी कंपनी को भी दूध की आपूर्ति की जा रही है। जयप्रकाश का कहना है कि सभी

खर्च निकालने के बाद उन्हें करीब 40 हजार रुपए प्रतिमाह की आय हो रही है।

डेयरी में काम कर रहे युवाओं को भी फायदा

डेयरी में कार्यरत देवेन्द्र पोटफोड़े पिछले तीन वर्षों से यहां काम कर रहे हैं। उन्हें प्रतिमाह 12 हजार रुपए मानदेय मिलता है। देवेन्द्र ने बताया कि डेयरी में काम करने का फायदा यह है कि नौकरी के साथ वे अपने खेत और घरेलू काम भी देख लेते हैं।

उन्होंने बताया कि वे सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक डेयरी में काम करते हैं। बाकी समय खेती और अन्य कार्यों में लगा लेते हैं। उनका कहना है कि किसी निजी कंपनी में नौकरी करने पर पूरा समय देना पड़ता, जबकि यहां रोजगार के साथ खेती भी आसानी से हो जाती है। दूध गंगा डेयरी के संचालक जयप्रकाश चिकाने ने पीएमएफएमई योजना के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है।

मेडिकल कॉलेज में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजन हुआ

विदिशा (निप्र)। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा में योग समिति के तत्वावधान में भव्य एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों, चिकित्सकों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए योग के महत्व को आत्मसात किया।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी को स्वस्थ, संतुलित एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में फिगरलाइन फिटनेस सेंटर, विदिशा की प्रोप्राइटर श्रीमती अंजली पंडित, योग प्रशिक्षक एवं आयुर्वेद-प्राकृतिक चिकित्सा



विशेषज्ञ श्री नीलेश विश्वकर्मा तथा विधान श्रीवास्तव उपस्थित रहे। अतिथियों ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासनों, प्राणायाम एवं ध्यान की विधियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। उन्होंने योग के शारीरिक,

मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि नियमित योगाभ्यास न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, मानसिक एकाग्रता विकसित करने तथा जीवन में सकारात्मक

ऊर्जा का संचार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेषज्ञों ने कहा कि वर्तमान भागदौड़ भरी जीवनशैली में योग एक प्रभावी साधन है, जो व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से सशक्त बनाता है।

उन्होंने सभी प्रतिभागियों से योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आग्रह किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. मनीष निगम, योग प्रमुख डॉ. नरेंद्र पटेल सहित अन्य वरिष्ठ चिकित्सक एवं फैकल्टी सदस्य उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में योग को समग्र स्वास्थ्य संवर्धन का सशक्त माध्यम बताते हुए कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को नियमित रूप से योग करने

तथा इसके संदेश को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का आह्वान किया।कार्यक्रम के सफल आयोजन एवं छात्र समन्वयन में डॉ. केशव बंसल, धनीराम दुबे, राशी विश्वकर्मा, वंशिका कौशिक, चेतन महाजन एवं राजा रघुवंशी की उत्तरेखनीय भूमिका रही। योग समिति के सदस्यों तथा प्रतिभागियों के सक्रिय सहयोग से कार्यक्रम सुचारुवस्थित एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के समापन पर योग समिति द्वारा सभी अतिथियों, प्रतिभागियों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। साथ ही सभी ने स्वस्थ, संतुलित एवं जागरूक समाज के निर्माण के लिए नियमित योगाभ्यास करने और योग के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का सामूहिक संकल्प लिया गया है।

